# 52 वीं वार्षिक रिपोर्ट

## 2024-25

## हिन्दी आवृती

आर एण्ड सी

R & C

# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

# अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एन. एस. श्रीवास्तव

09/05/2024 से

श्रीमती जूली श्रीवास्तव

09/05/2022 से 08/05/2024 तक

# निर्देशक

श्री नरेश कुमार

20/03/2023 से

श्री उदयभान सिंह

27/02/2025 से

श्री आदित्य कुमार घोष

18/06/2021 से 31/12/2024 तक

# ५२वीं वार्षिक रिपोर्ट

## २०२४ – २०२५


| विषय सूची | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|
| वार्षिक आम सभा सूचना | 03 |
| निदेशकों की रिपोर्ट | 06 |
| निगम संचालन | 16 |
| सचिवालयी ऑडिट रिपोर्ट | 20 |
| स्वतंत्र ऑडिटरों की रिपोर्ट | 24 |
| नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट | 36 |
| बैलन्स शीट (देयादेय फलक) | 37 |
| लाभ हानि खाते का विवरण | 39 |
| वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स | 41 |
| दस वर्षीय संग्रह | 68 |

# निदेशक मंडल

| | | | |
|---|---|---|---|
| A) | **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** | | |
| | श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव | : | 09.05.2024 से आगे |
| | श्रीमती जूली श्रीवास्तव | : | 09.05.2022 से 08.05.2024 तक |
| | | | |
| B) | **निदेशक** | | |
| | श्री नरेश कुमार | : | 20.03.2023 से आगे |
| | श्री उदय भान सिंह | : | 27.02.2025 से आगे |
| | श्री आदित्य कुमार घोष | : | 18.06.2021 से 31.12.2024 तक |
| | | | |
| C) | **प्रबंधकारी वर्ग** | | |
| | श्री वरुण कुमार शुक्ला | : | महाप्रबंधक (एच ओ) |
| | श्री संजय कुमार ओझा | : | सीएफओ एंड सीएस |
| | श्री डी. श्रीनिवास राव | : | उप महाप्रबंधक |
| | | | |
| D) | **ऑडिटर्स** | | |
| | मेसर्स जी पी कपडिया एण्ड कंपनी | : | सांविधिक ऑडिटर्स |
| | | | |
| E) | **बैंकर्स** | : | भारतीय स्टेट बैंक, भायखला शाखा |

**पंजीकृत कार्यालय:**

रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड
सर जे. जे. रोड,
भायखला, मुंबई – 400008
महाराष्ट्र

# सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड के सदस्यों की 52वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार 29 सितंबर, 2025 को शाम 4.00 बजेवीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजीकृत कार्यालय, सर जेजे रोड, भयाखला में निम्नलिखित बाबद् को साधारण बाबद् के रूप में विचार करने के लिए आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, उस तिथि तक देय -अदेय फलक, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह और निदेशकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित संकल्प को "साधारण संकल्प" के रूप में पारित करना।

   "संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, उन पर लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है और अपनाया जाता है।"

2. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाय/केंद्र सरकार रिचर्ड(1)/1903 दिनांक 22.09.2024 के तहत वैधानिक लेखा परीक्षक जी. पी. कापड़िया एंड कंपनी हमाम हाउस, हमाम स्ट्रीट, अंबालाल दोशी मार्ग, मुंबई-400 001की नियुक्ति को नोट करने के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत किया गया है।

3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पत्र संख्या CA.V/COY/केंद्र सरकार रिचर्ड(1)/1013 दिनांक 11.09.2025 के तहत 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक जी. पी. कापड़िया एंड कंपनी, हमाम हाउस, हमाम स्ट्रीट, अंबालाल दोशी मार्ग, मुंबई-400 001की नियुक्ति को नोट करने के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत किया गया है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

**हस्ता**/-

संजय कुमार ओझा
सीएफओ एवं कंपनी सचिव

दिनांक : 29.09.2025
स्थान: मुंबई

## नोट्स:

1. **उक्त बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत कंपनी के सदस्य को स्वयं के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है और यह अवशयक नहीं है कि प्रतिनिधि कंपनी का सदस्य हो।**

2. **यदि कोई प्रतिनिधि हों, तो उन्हें प्रभावी होने के लिए, बैठक के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए। प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।**

3. सूचना में उल्लेखित किसी भी मद से संबंधित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर व्यावसायिक घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुले हैं।

4. सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो वे कंपनी को तुरंत सूचित करें।

5. सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस बैठक को अल्प सूचना पर बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

6. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो वे तुरन्त कंपनी को सूचित करें।

7. ऊपर वर्णित विशेष व्यवसायों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है।

8. संलग्न सूचना और वैधानिक रजिस्टरों में उल्लेखित प्रासंगिक दस्तावेज, कंपनी के रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, सर जे.जे. रोड, मुंबई-400008 स्थित पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों में 14:00 से 16:00 बजे के बीच खुले रहेंगे और वार्षिक आम बैठक में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

# फॉर्म संख्या एमजीटी-11
# प्रॉक्सी फॉर्म
## [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

**सीआईएन:**
कंपनी का नाम:
पंजीकृत कार्यालय:
सदस्यों का नाम:
पंजीकृत पता:
ई-मेल आईडी:
फोलियो नंबर/क्लाइंट आईडी:
डीपी आईडी:

---

मैं/हम, उपर्युक्त कंपनी के ........... शेयरों के सदस्य होने के नाते, एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं:

1. नाम: .................. पता:
ई-मेल आईडी:
हस्ताक्षर: ..............., या उसके अभाव में

2. नाम: ..................
पता:
ई-मेल आईडी:
हस्ताक्षर: ..............., या उसके अभाव में

कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक में, जो सोमवार, 29 सितंबर 2025, शाम 4.00 बजे रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी, मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान (मतदान पर) करने के लिए मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में और नीचे दिए गए ऐसे प्रस्तावों के संबंध में किसी भी स्थगन के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं:
प्रस्ताव क्रमांक:

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, उस तिथि तक का देय – अदेय फलक, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह तथा निदेशकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना तथा निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे "साधारण संकल्प" के रूप में पारित करना।

2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पत्र संख्या CA.V/COY/केंद्र सरकार रिचर्ड(1)/1903 दिनांक 22.09.2024 के माध्यम से 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक जी. पी. कापड़िया एंड कंपनी हमाम हाउस, हमाम स्ट्रीट, अंबालाल दोशी मार्ग, मुंबई- 400 001की नियुक्ति को नोट करना, कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत करना।

3. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार रिचर्ड(1)/1013 दिनांक 11.09.2025 के तहत वैधानिक लेखा परीक्षक जी. पी. कापड़िया एंड कंपनी हमाम हाउस, हमाम स्ट्रीट, अंबालाल दोशी मार्ग, मुंबई- 400 001 की नियुक्ति को नोट करने के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत किया गया है।

इस दिन हस्ताक्षर किए गए... 2025

शेयरधारक के हस्ताक्षर

राजस्व स्टाम्प लगाएँ

प्रॉक्सी धारक(धारकों) के हस्ताक्षर
नोट: प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह फॉर्म विधिवत रूप से भरा जाना चाहिए और बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

# निदेशकों की रिपोर्ट

शेयरधारक,

रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड

आदरणीय,

आपके निदेशक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों के विवरण के साथ कंपनी की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्षित हैं।

1. **वित्तीय प्रदर्शन:**

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्नानुसार है:

| विवरण | 2024-25 (लाख रुपये में) | 2023-24 (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| **आय** | | |
| संचालन से आय | 843.05 | 926.64 |
| अन्य आय | 2409.79 | 2130.30 |
| **कुल आय** | **3252.84** | **3056.94** |
| **व्यय** | | |
| संचालन पर सीधा व्यय | 50.58 | 82.02 |
| कर्मचारी लाभ पर व्यय | 113.75 | 94.02 |
| मूल्यह्रास | 27.05 | 28.64 |
| संचालन एवं अन्य व्यय | 514.82 | 526.34 |
| **कुल व्यय** | **706.20** | **731.02** |
| संचालन लाभ | 136.85 | 195.62 |
| जोड़ें : अन्य आय | 2409.79 | 2130.30 |
| **घटाएँ : अंतिम लागत** | - | - |
| मूल्यह्रास | 27.05 | 28.64 |
| पिछली अवधि | - | - |
| मूल्यह्रास एवं ब्याज के पश्चात लाभ | 2546.64 | 2325.92 |
| पिछली अवधि और अतिरिक्त सामान्य वस्तु समायोजन | - | - |
| कर से पूर्व लाभ/हानि | 2546.64 | 2325.92 |
| वर्तमान कर | 641.15 | 496.24 |
| आस्थगित कर | 2.61 | (1.36) |
| कर के पश्चात लाभ | 1902.88 | 1831.04 |

2. **संचालन:**

कंपनी एमओए और एओए के अनुसार विभिन्न आयोजनों/समारोहों/बैठकों आदि के लिए अपने परिसर को दैनिक किराये पर देने की इंजीनियरिंग और व्यावसायिक गतिविधियाँ चला रही है। कंपनी ने आयोजनों, शूटिंग आदि के लिए परिसर को दैनिक किराये पर देने का व्यवसाय फिर से शुरू कर दिया है।

नागपुर की इकाइयों द्वारा नए ऑर्डर की बुकिंग बंद करने से ऑर्डर प्रभावित हो रहे हैं और तारीख 21. 09. 2016 के मंत्रालय के निर्णय के अनुपालन हेतु चेन्नई की इकाई को बंद कर दिया गया है।

3. **लाभांश भुगतान:**
निदेशकों ने आकस्मिकताओं और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लाभ बनाए रखने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बोर्ड चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों के साथ-साथ 8% प्रतिदेय गैर-संचयी वरीयता शेयरों पर किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

4. **दिनांक 21.09.2016 के कैबिनेट निर्णय का कार्यान्वियन**
कंपनी ने दिनांक 02.02.21 के पत्र के माध्यम से एमएचआई को सूचित किया है कि चूंकि सभी राज्य सरकारों के विभागों ने परिचालन फिर से शुरू कर दिया है, इसलिए एमएचआई 7वीं आईएमजी बैठक बुला सकता है। भारी उद्योग मंत्रालय के माननीय मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 06.02.2025 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में, आर एंड सी मुंबई भूमि (भायखला और मुलुंड) को इष्टतम उपयोग में लाने के लिए दिनांक 06.10.2016 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिदेश के अनुसार आगे बढ़ने के तरीके के बारे में विभिन्न विकल्पों पर उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा की गई और आर एंड सी भूमि के मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए एक पीएमयू को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च 2025 को आयोजित अपनी 257वीं बैठक में संभावना दर्शाई कि, माननीय भारी उद्योग मंत्री द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) को नियुक्त करने के लिए विभिन्न सीपीएसई/सरकारी स्वामित्व वाले स्वायत्त संगठनों को एक सीमित/खुली निविदा जारी की जा सकती है।

कंपनी ने कार्यक्रमों, शूटिंग आदि के लिए दैनिक किराये पर परिसर उपलब्ध कराने का व्यवसाय फिर से शुरू कर दिया है। वर्तमान में, आर एंड सी भवन के परिसर बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक को पट्टे पर दिए गए हैं। भूतल और प्रथम तल पर स्थित एसी हॉल चुनाव के उद्देश्य से मुंबई कलेक्टर के अधीन हैं।

कंपनी ने 28.06.2019 को 69-डी, टैनसिडको औद्योगिक एस्टेट, अंबत्तूर, चेन्नई में 3.3 एकड़ भूमि के विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करके चेन्नई भूमि का भूस्वामित्व – स्पष्टीकरण कर लिया है। कंपनी ने 25.05.2020 के पत्र द्वारा भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय को चेन्नई की 3.3 एकड़ भूमि और भू-परिसंपत्ति के स्वामित्व-विलेखों से संबंधित औपचारिकताओं के पूरा होने की सूचना दे दी है। उक्त भूमि पर विभिन्न भवन और संरचनाएँ मौजूद हैं। वर्तमान में, चेन्नई इकाई बंद है।

5. **ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेश एवं विदेशी मुद्रा का आगमन एवं बहिर्गमन**

(A) **प्रौद्योगिकी अवशोषण:**
कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई बड़ा प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम शुरू नहीं किया है।

(B) **अनुसंधान एवं विकास और गुणवत्ता:**
केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय 2016 के अनुसार, कंपनी वर्तमान में पुनर्गठन के अधीन है और पुनर्गठन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कोई भी अनुसंधान एवं विकास या गुणवत्ता पहल की जाएगी।

(C) **विदेशी मुद्रा का आगमन और बहिर्वाह:**
वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा प्रवाह या बहिर्वाह नहीं है।

(D) **ऊर्जा:**
आपकी कंपनी में परिचालन ऊर्जा गहन नहीं है। हालाँकि, ऊर्जा की खपत और लागत को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और यह नियंत्रण में है।

6. **मानव स्रोत::**
सम्पूर्ण वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे। मार्च, 2025 के अंत तक मानव शक्ति की मात्रा 3 थी।

7. **अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग कर्मचारी/ शारीरिक दिव्यांग लोग:**
एससी/एसटी/ओबीसी/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में सरकार के निर्देशों का नियमित रूप से पालन और कार्यान्वियन किया जा रहा है।

8. **कर्मचारियों का विवरण:**
सम्पूर्ण वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134, जिसे कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1988 के साथ पढ़ा जाता है के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाने के लिए आवश्यक पारिश्रमिक नहीं लिया है।

9. **पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण:**
आपकी कंपनी प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कंपनी की मुलुंड और नागपुर इकाई में वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान प्रयास जारी रखे गए, जहां इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त खाली भूमि उपलब्ध है।

10. **सतर्कता सेल:**
श्री विनीत कुमार, सीवीओ नेपा लिमिटेड, को कंपनी का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) नियुक्त किया गया है।

11. **हिन्दी का उपयोग:**
कंपनी की राजभाषा कार्यान्वियन समिति ने विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए जारी राजभाषा कार्यान्वियन के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के आधिकारिक कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है।

12. **निदेशक मण्डल – चयन एवं निवृत्ति**
एमएचआई ने पत्र संख्या 4(8)/2010-PE IV (भाग II) दिनांक 05.06.2024 के माध्यम से 09.05.2024 से प्रभावी एक वर्ष के लिए श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, ब्रिज एंड रूफ़ इंडिया लिमिटेड को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आर एंड सी) नियुक्त किया है। श्रीमती जूली श्रीवास्तव का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आर एण्ड सी के रूप में कार्यकाल 08.05.2024 से खत्म हो चुका है।

एमएचआई ने अपने पत्र संख्या 7(3)/98-पीई आईवीसीपीएसई-I दिनांक 27.02.2025 के माध्यम से श्री उदय भान सिंह को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में एमएचआई के पूर्व निदेशक श्री आदित्य कुमार घोष के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक नियुक्त किया है।

<u>आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और आयोजन की तारीखें</u>
बोर्ड की बैठकें आम तौर पर कंपनी के भायखला, मुंबई स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और काफी पहले से निर्धारित होती हैं। प्रत्येक बोर्ड बैठक की लिखित सूचना सभी निदेशकों को भेजी जाती है। बोर्ड की बैठकें वर्ष 2024-25 यानी 09.08.2024, 27.09.2024, 24.01.2025 और 28.03.2025 के दौरान हुईं।

बोर्ड बैठकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

| क्रमांक. | निदेशक का नाम | बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या | एजीएम 2023-24 में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री नरेश कुमार | 4 | हाँ |
| 2 | श्री आदित्य कुमार घोष | 2 | हाँ |
| 3 | श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव | 4 | हाँ |
| 4 | श्री उदय भान सिंह | 1 | नहीं |

13. **लेखा परीक्षा समिति:**
कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 27.06.2014 को आयोजित अपनी 215वीं बोर्ड बैठक में एक ऑडिट समिति का गठन किया है, और कंपनी के निदेशक पद में बदलाव के कारण समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है।

1. संदर्भ की शर्तें:
बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऑडिट समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और इस प्रकार हैं।

i. नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, तो वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिस्थापन/हटाने और सरकारी कंपनियों पर लागू सीमा तक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा फीस के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

ii. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का खुलासा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।

iii. विशेष संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करना:
(a) कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों और लागू नियमों और लेखांकन मानकों के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले
(b) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो और उसके कारण।
(c) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।
(d) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण समायोजन किए गए।
(e) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा।
(f) ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में योग्यताएँ।

iv. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

v. प्रबंधन के साथ सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना

vi. आंतरिक लेखापरीक्षा की संरचना, इसकी कवरेज और आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

vii. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

viii. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन तथा नियोजित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।

ix. जहां आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की समीक्षा और चर्चा करना।

x. जहां लागू हो, सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना

xi. सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की आवधिकता और लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहित चिंता के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना।

2. लेखापरीक्षा समिति की संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम:
लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य बोर्ड me शामिल।

| क्रमांक | सदस्य का नाम | लेखापरीक्षा समिति में सदस्य का पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | श्री नरेश कुमार | अध्यक्ष |
| 2 | श्री उदयभान सिंह | सदस्य |

बोर्ड की समिति के बारे में विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में अद्यतन किया गया है जो अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है।

## 14. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तहत, किसी भी कंपनी को सीएसआर गतिविधियों पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के कम से कम 2% के बराबर राशि खर्च करनी होती है। वर्ष के दौरान की गई सीएसआर पहलों पर कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या प्रोग्रामर के वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है। भारत सरकार के दृष्टिकोण और दर्शन के साथ और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर डीपीई के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी टिकाऊ परियोजनाओं की पहचान करने का प्रयास करती है जो लंबी अवधि में समाज को लाभान्वित करेगी। सीएसआर समिति और निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ कंपनी द्वारा 22.02.2020 को एक विस्तृत सीएसआर नीति तैयार की गई थी। यह नीति अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को कवर करती है:
   (I) प्रस्तावना
   (II) विज़न, मिशन, उद्देश्य, परिभाषा और दायरा
   (III) सीएसआर एवं स्थिरता नीति वक्तव्य
   (IV) संरचना
   (V) बजट और आवंटन
   (VI) कार्यान्वियन, निगरानी और रिपोर्टिंग

   **सीएसआर समिति की संरचना लागू नहीं है:** धारा 135 (9) के अनुसार जहां किसी कंपनी द्वारा उप-धारा (5) के तहत खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो संविधान के लिए उप-धारा (1) के तहत आवश्यकता होती है ki कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति लागू नहीं होगी और इस धारा के तहत प्रदान की गई ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन, ऐसे मामलों में, ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

2. वर्ष के दौरान कंपनी ने 43.79 लाख रुपये खर्च न किए गए सीएसआर फंड खाते में स्थानांतरित किए हैं। चल रही परियोजनाओं के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: -

(₹.लाख में)

| प्रारंभिक जमा | वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि | जमा शेष |
|---|---|---|---|
| 67.54 | 43.79 | 54.31 | 57.02 |

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (अनुबंध I)

15. **लेखा परीक्षक**:

**वैधानिक लेखा परीक्षक**: मेसर्स जी.पी. कापड़िया एंड कंपनी को सीएजी के पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/केंद्रीय सरकार रिचर्ड(1)/1903 दिनांक 22.09.2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

**आंतरिक लेखा परीक्षक:** 28.03.2025 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा मेसर्स डी पी जायसवाल एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्षों 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

**सचिवीय लेखा परीक्षक:** 28.03.2025 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने एम पी संघवी एंड एसोसिएट्स एलएलपी को वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया था।
सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निर्धारित योग्यताओं की लेखा परीक्षा समिति द्वारा व्यापक समीक्षा की गई है और लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड द्वारा उन पर विचार किया गया है और जहाँ भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और CAG द्वारा लेखाओं की समीक्षा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

16. **निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:**

निदेशक मंडल 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है और बताता है कि:-

i. वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और साथ ही भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था;

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।;

iii. निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव और कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।;

iv. वार्षिक खाते चालू - आधार पर तैयार किए गए हैं,

v. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं;

17. **निर्धारित प्रपत्र में धारा 188(1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण**

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं है।

18. **कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और रिपोर्ट की तारीख**

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं।

**19. कंपनी द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल पर विकसित और कार्यान्वित नीति का विवरण**

आर एंड सी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 43.79 लाख रुपये की राशि अप्रयुक्त सीएसआर खाते सीएसआर परियोजना में स्थानांतरित कर दी गई है।

**20. जोखिम प्रबंधन नीति**

बोर्ड ने आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की है।

## 21. शेयर पूंजी में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है।

## 22. नैगमिक प्रशासन

कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक II में संलग्न है और इसमें शामिल हैं:

- **i.** कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस (सीजी) पर प्रमाणपत्र
- **ii.** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(I) के तहत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

## 23. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकर

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक नीति बनाई है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली।

## 24. मातृत्व लाभ:

कंपनी यह पुष्टि करती है कि उसने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के सभी प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया है, तथा वर्ष के दौरान पात्र महिला कर्मचारियों को सभी वैधानिक लाभ प्रदान किए हैं।

## 25. आभार:

निदेशक केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, विशेषकर भारी उद्योग मंत्रालय को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। निदेशक सी एंड एजी, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, वैधानिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और बैंकरों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक मूल्यवान ग्राहकों के निरंतर संरक्षण और समर्थन के लिए उनके आभारी हैं। निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों की सराहना भी करना चाहते हैं।

**कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से**

**हस्ता/-**

**(नीरज शंकर श्रीवास्तव)**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,**
**DIN – 10687234**

**दिनांक : 29.09.2025**
**स्थान : मुंबई**

अनुलग्न-।

## सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (2024-25)

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त विवरण।**

आपकी कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप सीएसआर पर एक नीति है। सीएसआर नीति का उद्देश्य ऐसे आर्थिक विकास के लिए प्रयास करना है जो न्यूनतम संसाधन पदचिह्न के साथ बड़े पैमाने पर समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से एक व्यापक और एकीकृत विकास को बढ़ावा देता है।

2. **सीएसआर समिति की संरचना: लागू नहीं**

| क्र. | निदेशक का नाम | पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति | इस वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | इस वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. उपलब्ध वेब-लिंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर बताई गई हों।

   http://www.rnc72.com/

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में कार्यान्वित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)। लागू नहीं

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।

| क्र. | वित्तीय वर्ष | पिछले वित्तीय वर्षों से कटौती के लिए उपलब्ध राशि (रु. में) | वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो (रु. में) |
|---|---|---|---|
| 1 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | कुल | शून्य | शून्य |

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

| वित्तीय वर्ष | लाभ/हानि |
|---|---|
| 2023-24 | 23,25,93,687 |
| 2022-23 | 16,99,40,363 |
| 2021-22 | 25,44,49,704 |
| **कुल लाभ** | **65,69,83,753** |
| औसत 3 वर्ष का लाभ | 21,89,94,584 |
| सीएसआर में खर्च की जाने वाली राशि | 43,79,891 |

7. (a) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत ₹. 43,79,891/-

   (b) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:

   वित्तीय वर्ष: ₹. 77,366/-

(c) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: शून्य

(d) वित्तीय वर्ष (7ए+7बी-7सी) के लिए कुल सीएसआर दायित्व : रु. 44,57,257/-

8. (a) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

| वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (रु. में) | अव्ययित राशि (रु. में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि। | | धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची **VII** के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि। | | |
| | राशि | ट्रान्सफर की तिथि | पूंजी का नाम | राशि | ट्रान्सफर की तिथि |
| **54,31,749** | **43,79,892** | **24.03.2025** | **-** | **-** | **-** |

* वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी ने 43,79,892 रुपये अप्रयुक्त सीएसआर खाते में सीएसआर परियोजना के लिए स्थानांतरित कर दिए हैं।

(b) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें। | स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) | | स्थान परियोजना | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु.) | पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु.) | चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु.) | धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रुपये में) | कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) | कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से | |
| | | | राज्य | ज़िला | | | | | | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या. |
| 1. | जिला चंदौली (यूपी) और जिला गाजीपुर (यूपी) में दो नंबर 5 सीट वाले सुलभ शौचालय परिसर | स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना | नो | यूपी | चंदौली | 3 | 45,09,239 | 18,12,324 | 14,49,859 | 12,47,056 | नहीं | सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन लखनऊ | - |
| 2. | एम्बुलेंस उपकरण, टाइप डी एडवांस लाइफ सपोर्ट - स्वास्थ्य केंद्र (सीएसएसएचएस) | स्वास्थ्य देखभाल- आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ | नो | असम | कार्बी - आंगलोंग | 1 | 39,81,890 | - | 39,81,890 | - | नहीं | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचएस), बोकाजन | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total** | | | | | | 84,91,129 | 18,12,324 | 54,31,749 | 12,47,056 | | | |

c) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | | **(6)** | **(7)** | **(8)** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची **VII** में गतिविधियों की सूची से मद। | स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) | परियोजना का स्थान | | परियोजना पर व्यय की गई राशि (रुपये में) | कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)। | कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से। | |
| | | | | राज्य | जिला | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या। |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(d) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : शून्य

(e) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(f) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि : **54,31,749/-**

(8b+8c+8d+8e)

(g) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

| क्र. | विवरण | राशि (रु. में) |
|---|---|---|
| (i) | धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत | **रु. 43,79,891** |
| (ii) | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि | शून्य |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)] | शून्य |
| (iv) | पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो | रु. 77,366 |
| (v) | आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)] | शून्य |

9. (a) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

| क्र. | पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष | धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में) | रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में) | धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची **VII** के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो। | | | आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निधि का नाम | राशि (रु. में) | ट्रांसफर की तिथि. | |
| | | | | | | | |
| | **कुल** | | | | | | |

(b) पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.** | **प्रोजेक्ट आईडी** | **परियोजना का नाम** | **वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी** | **परियोजना अवधि** | **परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रु. में)** | **रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (रु. में)** | **रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (रु. में)** | **परियोजना की स्थिति- पूर्ण /चल रही है।** |
| **1.** | | दो नग. जिले में 5 सीट वाला सुलभ शौचालय परिसर। चंदौली (यूपी) एवं जिला। ग़ाज़ीपुर (यूपी) | 2023-24 | 3 वर्ष | 45,09,239 | 14,49,859 | 32,62,183 | गणना की गई तथा 1 वर्ष से परिचालन एवं रखरखाव के अधीन |
| **2.** | | उन्नत जीवन रक्षक उपकरणों से युक्त एम्बुलेंस टाइप डी, सीएचएस, बोकाजन, असम के लिए | 2024-25 | 1 वर्ष | 39,81,890 | 39,81,890 | 39,81,890 | पुरा होना। |
| | **कुल** | | | | 84,91,129 | 54,31,749 | 72,44,073 | |

| (मुख्य वित्तीय अधिकारी) | (निदेशक) डीआईएन: | (सीएसआर समिति के अध्यक्ष) डीआईएन: | लागू नहीं [अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां भी लागू हो)। |
|---|---|---|---|
| श्री संजय कुमार ओझा | श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव डीआईएन: 10687234 | लागू नहीं | |

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में,

वित्तीय वर्ष में सीएसआर के माध्यम से निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: शून्य

**(परिसंपत्ति-वार विवरण)**

(a) पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि

(b) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि।

(c) उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजी परिसंपत्ति पंजीकृत है, उसका पता आदि।

(d) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण प्रदान करें

(पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)।

11. यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो

कारण बताए लाभ धारा 135(5) के अनुसार : लागू नहीं

# अनुलग्नक -II

## नैगमिक प्रशासन

कॉर्पोरेट प्रशासन से तात्पर्य कंपनी को इस प्रकार संचालित करने के लिए अपनाई गई विधि या उपायों से है, जिससे शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के प्रति निदेशक मंडल की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इसे निदेशक मंडल की भूमिका को परिभाषित करते हुए, शेयरधारकों, निवेशकों और हित समूह के प्रति निदेशकों की जवाबदेही स्थापित करते हुए, प्रभावी दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए और कार्य-निष्पादन की नई गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए, मण्डल और कार्यकारी अधिकारियों के बीच संबंधों का स्वरूप बदलते हुए तैयार किया गया है। आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के कामकाज में परिलक्षित कॉर्पोरेट प्रशासन का दर्शन दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य और अपने सभी शेयरधारकों के हितों को बढ़ाकर व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करना है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने सीपीएसई के लिए डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश विकसित और लागू किए हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास आवश्यक नियामक तंत्र हो ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन, स्वामित्व और प्रशासन से संबंधित जानकारी का समय पर और सटीक प्रकटीकरण हो सके। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगमिक प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, नैगमिक प्रशासन पर रिपोर्ट नीचे दी गई है।:

**<u>कंपनी का दर्शन</u>**

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड का नैगमिक प्रशासन दर्शन अपने सभी कार्यों में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, अखंडता और समानता प्राप्त करने का प्रयास करता है। कंपनी का मानना है कि दीर्घकालिक नैगमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यक है। कंपनी का व्यावसायिक उद्देश्य अपने उत्पादों का निर्माण और विपणन इस प्रकार करना है कि उनसे ऐसा मूल्य सृजित हो जो शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार और ऋणदाताओं सहित अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ हो।

वर्तमान में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 21.09.2016 के निर्णय के अनुसार, कंपनी परिचालन के पुनर्गठन के अधीन है।

**<u>निदेशक मण्डल</u>**

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार की एक कंपनी है। इसकी 100% अंशधारक भारत सरकार है। इसके बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
2. श्री नरेश कुमार, निदेशक
3. श्री उदय भान सिंह, निदेशक

बोर्ड की बैठकें आमतौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, भायखला, मुंबई में आयोजित की जाती हैं और काफी पहले से निर्धारित की जाती हैं। प्रत्येक बोर्ड बैठक की लिखित सूचना सभी निदेशकों को भेजी जाती है। बोर्ड की बैठकें वर्ष 2024-25 के दौरान 09.08.2024, 27.09.2024, 24.01.2025 और 28.03.2025 को आयोजित हुईं।

बोर्ड की बैठकों में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

| क्रमांक | निदेशक का नाम | मण्डल की बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थित हुए |
|---|---|---|
| 1 | श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव | 4 |
| 2 | श्री आदित्य कुमार घोष | 2 |
| 3 | श्री नरेश कुमार | 4 |
| 4 | श्री उदय भान सिंह | 1 |

मण्डल समिति की बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

**1) <u>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:</u>**

31 मार्च 2025 को इस समिति में निम्न सदस्य थे:

1. श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव
2. श्री नरेश कुमार
3. श्री उदय भान सिंह

वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 1 बैठक 28 मार्च 2025 को हुई।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में उपस्थित निदेशकों का व्याकतिगत उपस्थिति विवरण अधोलिखित है:

| क्रमांक | निदेशक का नाम | बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे |
|---|---|---|
| 1 | श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव | 1 |
| 2 | श्री नरेश कुमार | 1 |
| 3 | श्री उदय भान सिंह | 1 |

**2) <u>लेखापरीक्षा समिति:</u>**

31 मार्च 2025 को समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

1) श्री नरेश कुमार, अध्यक्ष
2) श्री उदय भान सिंह, सदस्य

**वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 3 बैठकें हुई, जो क्रमशः 9 अगस्त 2024, 27 सितंबर, 2024 और 28 मार्च 2025 को हुई।**

लेखा परीक्षा में उपस्थित निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर रिपोर्ट

| क्रमांक | निदेशक का नाम | लेखपरीक्षा समितियों की संख्या जिनमें उपस्थित थे |
|---|---|---|
| 1 | श्री आदित्य कुमार घोष ( 31.12.2024 तक) | 2 |
| 2 | श्री नरेश कुमार | 3 |
| 3 | श्री उदय भान सिंह (w.e.f. 27.02.2025 से ) | 1 |

आम सभा विवरण

| वित्तीय वर्ष | दिनांक | समय | स्थल |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 27.09.2024 | 5:00 PM | आर एंड सी, कॉर्पोरेट कार्यालय, सर जे. जे. रोड भायखला, मुंबई |
| 2022-23 | 18.11.2023 | 2:00 PM | आर एंड सी, कॉर्पोरेट कार्यालय, सर जे. जे. रोड भायखला, मुंबई |
| 2021-22 | 31.10.2022 | 2:00 PM | आर एंड सी, कॉर्पोरेट कार्यालय, सर जे. जे. रोड भायखला, मुंबई |

**नैगमिक प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाणपत्र**

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 में कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले नैगमिक प्रशासन दिशानिर्देशों के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों या कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया है।

उक्त प्रमाण पत्र कार्यरत कंपनी सचिवों (पीसीएस), एम पी सांघवी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सचिवों, जिनका कार्यालय मुंबई - 400 080 में है, से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्त किया गया था और नैगमिक प्रशासन रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न है।

**कृते और निदेशक मंडल की ओर से**

**हस्ता/-**

**(नीरज शंकर श्रीवास्तव)**

**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,**

**डिआइएन - 10687234**

**दिनांक** : **29.09.2025**

**स्थान** : **मुंबई**

# लोक उद्यम विभाग (डीपीई), 2010 के दिशानिर्देशों के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण
रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
सर जे. जे. रोड, भायखला, मुंबई, मुंबई शहर, MH-400008 IN

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) और 14 मई, 2010 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड ("कंपनी") सीआईएन: U28920MH1973GOI016389, एक सरकारी कंपनी द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

**प्रबंधन की ज़िम्मेदारी:**

नैगमिक प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी में डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा प्रक्रियाओं का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

**लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व:**
हमारा उत्तरदायित्व कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति।

हमने कंपनी द्वारा नैगमिक प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन का उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा रखे गए प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों की जाँच की है।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का पालन किया है, *सिवाय निम्नलिखित के:*

*1. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम चार लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करने की अनिवार्य आवश्यकता पूरी नहीं की। इसके अतिरिक्त, दो लगातार बैठकों के बीच का समय अंतराल निर्धारित चार महीने की सीमा से अधिक था।*
*2. कंपनी दो निदेशक मण्डल की बैठकों के बीच निर्धारित समय अंतराल का पालन करने में विफल रही, जो लागू दिशानिर्देशों के अनुसार तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।*

*3. कंपनी में मंत्रालय द्वारा नामित कोई भी स्वतंत्र निदेशक या महिला निदेशक नहीं था, जो डीपीई की प्रशासन आवश्यकताओं का उल्लंघन था।*

*4. निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।*

**कृते एम पी सांघवी एंड एसोसिएट्स एल एल पी**
**कंपनी सचिव**
**फर्म पंजीकरण क्रमांक L2020MH007000**

**हस्ता**/-

**मीता पुष्पल सांघवी**
**पदेन भागीदार**
**एफ सी एस : 7205/ सी पी क्रमांक: 6364**
**पीयर रिव्यू प्रमाणपत्र संख्या: 2972/2023**
**यूडीआईएन: F007205G000680592**
**दिनांक**: ------ 2025
स्थान: मुंबई

# फॉर्म नं. एमआर-3

## सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी नियम, 2014 के नियम क्र. 9 के अनुसार (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक)]

प्रति,
सदस्यगण,
**रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड**
**सीआईएन:U28920MH1973GOI016389**
**सर. जे.जे. रोड**, **भायखला**,
**मुंबई 400008**

हमने **रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड** (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन हेतु सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

**लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व:**

हमारा दायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, लेखा परीक्षक को वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी और उसे क्रियान्वित करना होगा।

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, यह अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ भौतिक गलतबयानी या भौतिक गैर-अनुपालन का पता नहीं चल पाएगा, भले ही लेखापरीक्षा उचित रूप से योजनाबद्ध हो और मानकों के अनुसार निष्पादित की गई हो।

**संशोधित राय:**

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर, सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान (जिसे आगे "ऑडिट अवधि" कहा जाएगा), आम तौर पर नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और आगे की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए और बनाए गए बहीखातों, कागजातों, मिनट बुकों, दाखिल किए गए फॉर्मों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम - कंपनी पर लागू नहीं है

iii. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम - कंपनी पर लागू नहीं होते है

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम - कंपनी पर लागू नहीं है

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश - लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है

a) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 - कंपनी पर लागू नहीं

b) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015; - कंपनी पर लागू नहीं

c) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018; - कंपनी पर लागू नहीं

d) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; - कंपनी पर लागू नहीं

e) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021; - कंपनी पर लागू नहीं

f) कंपनी अधिनियम, 2013 और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993; - कंपनी पर लागू नहीं

g) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; - कंपनी पर लागू नहीं; और

h) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018. - कंपनी पर लागू नहीं

i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015. – गैर-सूचीबद्ध कंपनी पर लागू नहीं

vi. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश, सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी पर लागू उद्योग विशिष्ट कानून हैं।

हमने निम्नलिखित लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की है:

i. बोर्ड और सामान्य बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते; - कंपनी पर लागू नहीं।

समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उक्त सत्यापनों और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदनों और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने सामान्यतः अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सिवाय नीचे उल्लिखित सीमा के:

1. *वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान भारत सरकार को जारी किए गए 8% अधिमान्य शेयर, जिनकी कुल कीमत 2,326 लाख रुपये है, जारी होने के समय से बीस वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद आज तक मोचन नहीं किए गए हैं। 1992-1993 के दौरान जारी किए गए इन अधिमान्य शेयरों के निर्गम और मोचन के नियम व शर्तों को एकमात्र अधिमान्य शेयरधारक, भारत सरकार वाली कंपनी द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में, बुनियादी ढांचा परियोजना स्थापित करने में लगी कंपनी अधिमान्य शेयरधारकों के विकल्प पर, इक्कीसवें वर्ष के बाद या उससे पहले, आनुपातिक आधार पर, प्रति वर्ष न्यूनतम दस प्रतिशत अधिमान्य शेयरों के मोचन की शर्त के अधीन, बीस वर्ष से अधिक लेकिन तीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए शेयर जारी कर सकती है।*

2. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के तहत बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक के अंतराल की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।

3. *कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार एक वर्ष में लेखा परीक्षा समिति की कम से कम चार बैठकें आयोजित करने और दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल न होने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।*

4. *चूंकि कंपनी में मंत्रालय द्वारा नामित कोई स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक नहीं थी, इसलिए निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना क्रमशः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 177 और 178 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।*

हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः

- ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन, 31 मार्च, 2025 को कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत रूप से कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठन किया गया था। निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए थे, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- कम समय में बुलाई गई और आयोजित बैठकों को छोड़कर, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सूचना दी गई थी, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया और कार्यवृत्त में दर्ज किया गया, बोर्ड की बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों आदि के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया और प्रतिनिधित्व किया गया था, ऐसी कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं थी जिसका उपरोक्त निर्दिष्ट कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर असर पड़ा हो।

**एम पी संघवी एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
**कंपनी सेक्रेटरी**
**(एफआरएनः एल2020एमएच007000)**

**हस्ता/-**

**मीता पुष्पल संघवी**
**नामित भागीदार**
**एफसीएसः एफ7205/सीपी नंबरः 6364**
**सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 2972/2023**
**यूडीआईएनः F007205G000680592**

दिनांक: 30/06/2025
जगह: मुंबई

***इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है***

## अनुलग्नक-ए

प्रति,
सदस्यगण,
**रिचर्डसन और क्रुडास (1972) लिमिटेड**
**सीआईएन:U28920MH1973GOI016389**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, सम तिथि को, इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

i. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन सचिवीय अभिलेखों पर लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करें।
ii. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के सत्यापन सहित सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
iii. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बही की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, इस लेखापरीक्षा में कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों सहित लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।
iv. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
v. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
vi. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

एम पी सांघवी एंड एसोसिएट्स एलएलपी

कंपनी सेक्रेटरी

(**FRN: L2020MH007000**)

**हस्ता**/-

**मीता पुष्पल संघवी**

**नामित भागीदार**

**FCS: F7205/ CP संख्या: 6364**

**सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या**: **2972/2023**

**UDIN: F007205G000680592**

दिनांक: 30/06/2025

स्थान: मुंबई

# स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सदस्य

रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि.

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट**

**1. राय**

हमने रिचर्डसन और क्रुडास (1972) लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों के नोट्स जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है। (इसके बाद इसे "स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के 'राय का आधार' अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन Ind As वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के अनुसार आवश्यक जानकारी इस प्रकार देते हैं कि वे आवश्यक तरीके से और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में बदलाव और इसके नकदी प्रवाह के बारे में एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

**2. राय का आधार**

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए)" के अनुसार स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के 'स्टैन्ड अलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक की जिम्मेदारियाँ' नामक भाग में दी गई हैं। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टन्ट संस्थान (आईसीएआइ) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत जरूरी नैतिक आवश्यकताओं, जो हमारे स्टैन्डअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के प्रासंगिक है, और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं से संबंधित तथा आईसीएआई की नैतिक आचार संहिता के तहत अन्य नैतिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया है। हमें यह भरोसा है कि हमें प्राप्त हुआ अंकेक्षण साक्ष्य स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

3. **महत्वपूर्ण मामले-**

*I.* हम आपका ध्यान कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के **नोट नंबर 2(6)** की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें स्कार्प (scarp) का मूल्य पिछले वर्ष के मूल्य के अनुसार बताया गया है और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (net realizable value) में अंतर के कारण 31 मार्च, 2025 तक कोई समायोजन नहीं किया गया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इसके स्कार्प (scarp) मूल्य के मुकाबले कुल मात्रा भौतिक प्रकृति की नहीं है।

*II.* वित्तीय वर्ष 2024 - 2025 के लिए नागपुर और चेन्नई में कोई इंजीनियरिंग गतिविधियाँ नहीं की गई थीं। कंपनी की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कंपनी की आय का प्राथमिक स्रोत परिसर को विभिन्न आयोजनों/समारोहों/बैठकों आदि के लिए किराये पर देने से उत्पन्न किराये की आय है। **(नोट संख्या 31 देखें)**

III. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के अनुसार और पूर्वाधिकार अंश के मोचन के लिए भारत सरकार के साथ नियमों और शर्तों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण उस पर बनाए गए नियमों के कारण प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन रिजर्व खाता बनाने के लिए सक्षम नहीं है **(नोट क्रमांक 32 देखें)।**

IV. कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के **'नोट क्र. 34'** का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि विभिन्न पार्टियों और सरकारी प्राधिकरणों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, जमा, वैधानिक बकाया, ऋण और अग्रिम, अन्य वर्तमान देनदारियां और पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित) के साथ लेन देन बकाया है जो पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। कंपनी ने पहले के वर्षों में ऐसे डेबिट शेषों के लिए प्रावधान किया है (जो अभी भी बही-खातों में जारी हैं) लेकिन उन्हें बहीखातों में बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

V. हम आपका ध्यान कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के **नोट क्र. 35** की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि, वर्ष 2024-25 के दौरान नागपुर, मुलुंड और भायखला इकाइयों में संपत्तियों और वस्तु-सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

VI. कंपनी की नागपुर में '3' इकाइयां, नामतः (1) प्लॉट नंबर एफ-16, एमआईडीसी, हिंगना रोड, (2) वानाडोंगरी में टीटीएस यूनिट (3) एमआईडीसी, सोनेगांव में एसआईसीओएम शेड हैं। जैसा कि **नोट क्र. '8'** में कहा गया है, कुल माल सूची 142.16 लाख रुपये बताई गई है जो कच्चे माल, डब्ल्यूआईपी, तैयार माल और स्क्रैप में विभाजित है। हालाँकि, प्रबंधन के द्वारा सम्पूर्ण वर्ष के दौरान कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है इसलिए निर्णायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि नोट '8' में बताई गई सामग्री नागपुर में उन '3' इकाइयों में मौजूद है।

VII. एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध कंपनी मास्टर डेटा के अनुसार, कंपनी के पास अचल संपत्ति या उसके किसी भी ब्याज के खिलाफ का पुराना शुल्क 14 लाख रुपये है जो 30 नवंबर 1972 को बनाया गया था। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास ऐसा कोई शुल्क लंबित नहीं है। कंपनी अचल संपत्ति की पहचान, ऋणदाता की पहचान और ऐसे शुल्क को खत्म करने के संबंध में ऐसे शुल्क की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

VIII. कंपनी ने एसबीआई-पीएफ ट्रस्ट और बैंक ऑफ बड़ौदा (देना बैंक) कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट को बॉन्ड जारी किए थे, ऐसे बॉन्ड जारी करने से संबंधित दस्तावेज/नियम और शर्तें कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय **संशोधित नहीं** है।

**4. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर अंकेक्षण की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी**

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निर्देशक की रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण और उस पर हमारे अंकेक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखा परीक्षण के दौरान या अन्यथा प्राप्त हमारा ज्ञान भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का गलत विवरण दिया गया है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

**5. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियाँ**

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय सहित, Ind AS और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वियन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक ग़लतबयानी से, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो स्वतंत्र हैं।

स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन और निर्देशक मंडल एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू संस्था आधार का उपयोग करने के लिए तब तक जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को ख़त्म करना या परिचालन बंद करना न चाहे या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

**6. स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के लेख परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण समग्र रूप से चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, साथ ही हमारा उद्देश्य एक लेखा परीक्षणर रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए'स (SA's) के अनुसार आयोजित लेख परीक्षण हमेशा एक महत्वपूर्ण गलतबयानी (यदि मौजूद हो) का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित हुए हों।

एसए (SA) के अनुसार लेखा परीक्षण के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षण के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों की प्रतिक्रियात्मक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन के लेखांकन की चालू व्यवसाय अवधारणा के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते है और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर यह सुनिश्चित करते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षणर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और यह भी देखते है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करें जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके।

भौतिकता स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बताती है कि स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के एक जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षण कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने लेखा परीक्षण के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम प्रशासन प्रभारी लोगों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और हम उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संचारण करेंगे जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर, और जहां लागू होते हैं, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालने वाले हो सकते हैं।

प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षण के लिए मुख्य मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संचार के जनहित में किए जाने के लाभों से अधिक होंगे।

**7. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

I. (a.) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षणर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।

(b) हम अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में, कंपनी के बहीखातों और रिकॉर्डों की जाँच के आधार पर, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, " **अनुलग्नक बी**" में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप-निर्देशों के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न करते हैं।

II. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

a. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।
b. हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बहीखाते को अब तक रखा गया है, जैसा कि उन खातों की हमारी जाँच से पता चलता है।
c. इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण बही-खातों के अनुरुप हैं।
d. हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों, कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 7 और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।
e. 31 मार्च, 2025 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर, कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2025 को अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है। हालाँकि, अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान से छूट दी गई है।
f. हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी भौतिक संदर्भों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों, जिन्हें कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के अनुसार मान्य करती है, पर आधारित हैं। "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
g. अधिनियम की संशोधित धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ी गई धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है।

h. कंपनी (लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षण) नियम, 2014 के नियम 11, यथासंशोधित, के अनुसार लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. The कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है। संदर्भ के लिए नोट क्रमांक 30 देखें।

ii. कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक अनुबंध, जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध भी शामिल हैं, नहीं था जिसके लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हुई हो।

iii. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।

iv. (a) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सम्पूर्ण जानकारी और भरोसे के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयाँ ("बिचौलिये") भी शामिल हैं, ऐसी समझ, जिसे लिखित या अन्य रूप में रिकार्ड किया हो, के साथ कि ये बिचौलिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे व्यक्ति या इकाई को किसी भी प्रकार से कर्ज या निवेश के रूप में, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) की तरफ से भुगतान करेगा, या अंतिम लाभार्थी की तरफ से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसा ही देगा, को या से कोई भी राशि (जो कि व्यक्तिगत रूप से या समायोजित रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम, या कर्ज या निवेश के रूप में भुगतान नहीं की गई है।

(b) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसकी सम्पूर्ण जानकारी और भरोसे के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयां (फन्डिंग पार्टी) भी शामिल हैं, से ऐसी समझ, जिसे लिखित या अन्य रूप में रिकार्ड किया हो, के साथ कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या इकाइयों को या में किसी भी तरीके से, फन्डिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) की तरफ से कर्ज देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसे ही रूप में, कोई भी राशि (जो कि व्यक्तिगत रूप से या समायोजित रूप से महत्वपूर्ण हो) नहीं ली है।

(c) लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में तर्कसंगत और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत दिए गए अभ्यावेदन, जिन्हें (a) और (b) के तहत प्रदान किया गया है, में किसी भी प्रकार की भौतिक गलतबयानी शामिल है।

v. लाभांश की घोषणा एवं भुगतान के संबंध में:
   (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है, इसलिए उक्त खंड लागू नहीं है।
   (b) कंपनी का इरादा वर्ष के लिए लाभांश का प्रस्ताव करने का नहीं है, इसलिए उक्त खंड लागू नहीं है।

vi. हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जाँच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने बही खातों को रखने के लिए अंकेक्षण सॉफ्टवेयर 'टैली प्राइम सिस्टम' (संपादित लॉग) का उपयोग किया है, जिसमें लेखा परीक्षण ट्रेल सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है। और इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षण के दौरान हमें लेखा परीक्षण ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

**कृते जी. पी. कपाड़िया एण्ड को.**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ आर क्र. 104768W

हस्ता/-

**अतुल देसाई**
पार्टनर
मो. नं. 30850
स्थान: Mumbai
दिनांक: 30th June 2025
यूडीआईएन: 25030850BMGXYW8711

## “अनुलग्नक ए” स्वतंत्र आडिटर की रिपोर्ट के लिए

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 7 (ı) (ए) में संदर्भित।**

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और लेखा परीक्षण की सामान्य विधि में हमारे द्वारा जांच किए गए बही खातों और रिकॉर्ड के अनुसार, हम कहते हैं कि:

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, संपत्ति और अमूर्त संपत्ति के उपयोग के अधिकार के संबंध में:

(a)(A) कंपनी ने विस्तृत अचल संपत्ति रजिस्टर बनाए रखा है। हालाँकि, अचल संपत्तियों और संयंत्र और उपकरणों की स्थिति दिखाने के लिए इसमें सामयिक सुधार करने की आवश्यकता है।

(B) 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास, उसके खातों में कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(b) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। किसी भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में और उपरोक्त खंड (i)(ए) में उल्लेखित समाधान के अभाव में, हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि क्या स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के अनुसार सभी अचल संपत्तियों को कंपनी द्वारा सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित नहीं है। इसे वर्ष में एक बार आयोजित किया जाना आवश्यक है।

(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख, जैसा कि स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण की अचल संपत्ति अनुसूची में बताया गया है, कंपनी के नाम पर रखे गए हैं, सिवाय:

(i) घाटकोपर (मुंबई) में 20 फ्लैटों का मूल शीर्षक विलेख उपलब्ध नहीं है, केवल अनुबंध बिक्री विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतियां कंपनी के पास उपलब्ध हैं।
(ii) मुलुंड, मुंबई में फ्लैट (शेयर प्रमाण पत्र की केवल सही प्रतिलिपि)
(iii) नागपुर (टीटीएस) वानाडोंगरी में (केवल संपत्ति के कागजात की फोटोकॉपी रखी गई)
(iv) एमआईडीसी, सोनेगांव, नागपुर में जी/12/2 पर संपत्ति (संपत्ति के कागजात की प्रमाणित सही प्रतिलिपि)

**नोट संख्या 33(बी)**,**(सी) और नोट 42 देखें** कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि मुलुंड में स्थित संपत्ति (*जो एक पट्टे की संपत्ति है*) पर पट्टादाताओं द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पक्ष में लगाए गए विभिन्न आरोपों सहित कई आरोप लगाए गए थे, जिससे कंपनी द्वारा खरीद प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई थी। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

(d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. वस्तु सूची

(a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास उनकी नागपुर इकाई में एक वस्तु सूची उपलब्ध थी। अंकेक्षण के तहत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसी इकाइयों में इन्वेंट्री का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इसे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 3 (vi) में हमारी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(b) कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से, कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कोई भी कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है, और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई भी ऋण तथा सुरक्षित या असुरक्षित अग्रिम प्रदान नहीं किया है, इसलिए, खंड 3(iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की है।

v. कंपनी ने जनता से कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है और इसलिए जनता से स्वीकार की गई जमाराशियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

vi. वर्ष के दौरान कंपनी को कंपनी द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत लेखों के रखरखाव के लिए भारत की केंद्र सरकार से कोई विशिष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, लागत लेखों के रखरखाव की प्रयोज्यता के लिए उक्त अनुभाग में निर्दिष्ट टर्नओवर मानदंड कंपनी द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। इसलिए, हमारी राय में, कंपनी को किसी भी लागत लेखे को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

vii. हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

(a) कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, बिक्री कर, सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, जीएसटी, उपकर या किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित **निर्विवाद वैधानिक बकाया** उपयुक्त प्राधिकारी को जमा करने में नियमित रही है।

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त देय राशि के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2025 तक बकाया नहीं थी।

हालाँकि, नीचे दी गई तालिका में पहचानी गई बकाया राशि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज़ पिछले वर्षों से कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी ने ऐसे पुराने दावा न किए गए बकाए के खिलाफ न तो कोई प्रावधान किया है और न ही इसका खुलासा 'आकस्मिक देयताएं' में किया है।

| **अधिनियम का नाम** | **देय राशि की प्रकृति** | **राशि (₹. लाख में)** | **वह अवधि जिससे राशि संबंधित है** |
|---|---|---|---|
| व्यवसाय अधिनियम | व्यवसाय कर चेन्नई | 5.47 | 2010 से पहले |
| आयकर अधिनियम, 1961 | कर्मचारियों से काटा गया टैक्स–चेन्नई | 0.60 | 2010 से पहले |
| कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 | ईएसआई (ESI) - चेन्नई | 4.66 | 2010 से पहले |
| कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 | ईपीएफ (EPF) – चेन्नई | 20.06 | 2010 से पहले |
| बिक्री कर अधिनियम | बिक्री कर / मूल्य वर्धित कर / कार्य अनुबंध कर- चेन्नई | 3.89 | सितंबर 2015 से पहले |

31/03/2025 तक कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर या बिक्री कर या सेवा कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर, जो 31 मार्च, 2025 तक बकाया हैं, के **विवादित बकाया** का विवरण निम्नलिखित है:

| अधिनियम का नाम | देय राशि की प्रकृति | राशि (₹. लाख में) | वह अवधि जिससे राशि संबंधित है | फोरम जहां विवाद लंबित है |
|---|---|---|---|---|
| सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 | सीमा शुल्क- भायखला | 285.00 | 2010 से पहले | मुंबई |
| बिक्री कर अधिनियम | बिक्री कर - भायखला | 173.68 | 2010 से पहले | मुंबई |
| केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 | उत्पाद शुल्क – भायखला | 101.08 | 2010 से पहले | मुंबई |
| आय कर अधिनियम, 1961 | आयकर | 2.49 | A.Y. 2009- 2010 | आय कर अपील अधिकरण, मुंबई |
| श्रम कानून | ईपीएफ मुलुंड में अंशदान के भुगतान में चूक | 152.37 | 2010 से पहले | मुंबई |

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी अलेखित लेनदेन को सरेंडर या प्रकट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ix. (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार को दिए गए ऋण या उधार या डिबेंचर धारकों के किसी भी बकाया के भुगतान में चूक नहीं की है।
(b) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
(c) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और 31.03.2025 तक कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
(d) कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक ऋण नहीं उठाया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
(e) कंपनी के स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।
(f) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x. (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या अनुसारित सार्वजनिक निर्गम (further public offer) (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(x)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
(b) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी आवंटन नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xi. (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट की गई है।
(b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कंपनी (अंकेक्षण और अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान और उससे पहले, इस रिपोर्ट की तारीख तक, कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
(c) वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है इसलिए, आदेश के खंड (xii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

xiv. (a) हमारी राय में, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली है।
(b) हमने अपनी अंकेक्षण प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, अंकेक्षण के तहत वर्ष के लिए, कंपनी को वर्ष के दौरान और आज तारीख तक, जारी की गई आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या अपने निदेशकों से

जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है; इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (a) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (a), (b), (c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(b) हमारी राय में, कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कोई इस्तीफा प्रस्तुत नहीं किया है।

xix. वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की प्राप्ति की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक, जब भी वे देय होती हैं, सक्षम नहीं है। हालाँकि, हमारे अनुसार यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। आगे, हमारा कथन है कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान कंपनी के द्वारा, जब भी उनका बकाया हो, किया जाएगा।

xx. (a) उक्त अधिनियम के धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के लिए कोई भी अव्ययित राशि नहीं है।

(b) चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत से 30 दिनों की अवधि के भीतर अव्ययित सीएसआर (CSR) राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

xxi. कंपनी ने अंकेक्षण के तहत वर्ष के लिए स्टैंडअलोन आधार पर अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**कृते जी. पी. कपाड़िया एण्ड को.**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ आर क्र. 104768W

हस्ता/-

**अतुल देसाई**
पार्टनर
मो. नं. 30850
स्थान: Mumbai
दिनांक: 30th June 2025
यूडीआईएन: 25030850BMGXYW8711

## "अनुलग्नक-बी" स्वतंत्र ऑडिटर्स की रिपोर्ट के लिए

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी को सम तारीख की हमारी रिपोर्ट "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 7 (आइ) (बी) में संदर्भित**

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट.**

| क्रमांक | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश और उप-निर्देश | निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का जवाब | वित्तीय विवरण पर प्रभाव |
|---|---|---|---|
| 1 | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है। | कंपनी के सभी लेखांकन लेनदेन टैली प्राइम सिस्टम के माध्यम से संसाधित किए गए थे। अंकेक्षण के दौरान, यह सत्यापित किया गया कि कोई भी लेखांकन लेनदेन उक्त प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया गया था। | शून्य |
| 2 | क्या मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो उसके निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होते हैं) | अंकेक्षण के दौरान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी बाहरी संस्था से कोई ऋण/ऋण नहीं लिया है। अत: पुनर्गठन/बट्टे खाते में डालने/छूट देने का मामला नहीं उठता। | शून्य |
| 3 | क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं। | वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। | शून्य |

**कृते जी. पी. कपाड़िया एण्ड को.**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ आर क्र. 104768W

हस्ता/-

**अतुल देसाई**
पार्टनर
मो. नं. 30850
स्थान: Mumbai
दिनांक: 30th June 2025
यूडीआईएन: 25030850BMGXYW8711

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का " अनुलग्नक सी"

**(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 7(II) (एफ) में उल्लेखित अनुलग्नक" )**

**कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**

हमने रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड ('कंपनी') की 31 मार्च, 2025 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ किया है।

**1. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों ('निर्देशन नोट') पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वियन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी द्वारा नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

**2. अंकेक्षक की जिम्मेदारी**

हमारी जिम्मेदारी हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना अंकेक्षण आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मार्गदर्शन नोट और अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमी होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी अंकेक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो

(1) उन रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित होती हैं, जो तर्कसंगत विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता के अनुसार दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती है, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

**4. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है।

**5. राय**

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

**6. अन्य मामले**

आईसीएआई (ICAI) द्वारा जारी दिशानिर्देश लेख के अनुसार, कंपनी को उन नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए एसओपी मैट्रिक्स तैयार करना और अपनाना होगा जिनका पालन कंपनी को करना चाहिए। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के सभी लेनदेन उचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और सहायक कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए हैं। हालाँकि, नीतियों और प्रक्रिया के लिए ऐसे SOP मैट्रिक्स तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

**कृते जी. पी. कपाड़िया एण्ड को.**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ आर क्र. 104768W

हस्ता/-

**अतुल देसाई**
पार्टनर
मो. नं. 30850
स्थान: Mumbai
दिनांक: 30th June 2025
यूडीआईएन: 25030850BMGXYW8711

# 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं।

उनके द्वारा यह 30 जून 2025 की उनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक ऑडिट के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता उत्पन्न करता हो।

कृते और की ओर से

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-

(विजय एन. कोठारी)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (शिपिंग), मुंबई

स्थान: मुंबई

दिनांक: 21.08.2025

| 31/3/2025 तक देयादेय फलक | | | (रु. लाख में) |
|---|---|---|---|
| **विवरण** | **नोट क्रमांक** | **31 मार्च, 2025** | **31 मार्च, 2024** |
| **A. परिसंपत्तियाँ** | | | |
| **1. गैर-मौजूदा संपत्तियाँ** | | | |
| (a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | 4 | 629.54 | 647.09 |
| (b) पूंजीगत चालू कार्य | 4 | 25.74 | - |
| (c) अमूर्त संपत्तियाँ | | | - |
| (d) वित्तीय संपत्तियाँ | | | |
| (i) निवेश | | | - |
| (ii) व्यापार प्राप्य राशियाँ | 5 | 93.67 | 5.67 |
| (iii) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ | 6 | 506.91 | 17.27 |
| (e) आस्थगित कर परिसंपत्ति संपत्ति ( शुद्ध देनदारियाँ)। | | | |
| (f) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ | 7 | 818.08 | 1,096.45 |
| (g) बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति और छूट वाले संचालन | | | |
| **कुल गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ** | | **2,073.94** | **1,766.48** |
| **2. मौजूदा परिसंपत्तियाँ** | | | |
| (a) माल-सूची | 8 | 142.16 | 142.16 |
| (b) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | |
| व्यापार प्राप्य राशियाँ | 5 | 29.12 | 113.37 |
| नकद और नकद के समतुल्य | 9 | 4,218.67 | 4,942.79 |
| नकद तथा नकद समतुल्य के सलवा बैंक बैलन्स | 10 | 25,584.39 | 23,361.75 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 11 | 1,003.60 | 909.09 |
| (c) मौजूदा कर परिसंपत्तियाँ (शुध्द) | | | - |
| (d) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां | 12 | 21.31 | 8.56 |
| **कुल मौजूदा परिसंपत्तियाँ** | | **30,999.25** | **29,477.72** |
| **कुल परिसंपत्तियाँ** | | **33,073.19** | **31,244.20** |
| **B. इक्विटी एवं देनदारियां** | | | |
| **इक्विटी** | | | |
| इक्विटी अंश पूंजी | 13 | 13,335.05 | 13,335.05 |
| अन्य इक्विटी | 14 | 14,076.70 | 12173.82 |
| **कुल इक्विटी** | | 27,411.75 | 25,508.87 |
| **देनदारियां** | | | |
| **गैर-मौजूदा देनदारियां** | | | |
| वित्तीय देनदारियाँ | | | |
| व्यापार देय | | | |
| a. सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया | 15 | - | - |
| b. सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर कुल बकाया | 15 | 1,075.17 | 1,073.58 |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ | 16 | 444.45 | 430.48 |
| पूर्वाधिकार शेयर जारी - 8% गैर-प्रतिदेय वरीयता संचयी अंश प्रत्येक Rs. 1,000/- | | 2,326.00 | 2,326.00 |
| प्रावधान | 17 | 66.32 | 23.00 |
| आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध) | 18 | 46.01 | 43.40 |
| अन्य दीर्घकालिक देनदारियां | 19 | 1,318.27 | 1,298.40 |
| **कुल गैर-मौजूदा देनदारियां** | | 5,276.22 | 5,194.86 |

| 31/3/2025 तक देयादेय फलक | | | (रु. लाख में) |
|---|---|---|---|
| **विवरण** | **नोट क्रमांक** | **31 मार्च, 2025** | **31 मार्च, 2024** |
| **मौजूदा देनदारियां** | | | |
| वित्तीय देनदारियाँ | | | |
| व्यापार देय | | | |
| a. सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया | 15 | 19.30 | 1.72 |
| b. सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर कुल बकाया | 15 | 49.78 | 45.52 |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ | 20 | 137.71 | 99.73 |
| प्रावधान | 21 | 59.88 | 107.91 |
| अन्य वर्तमान देनदारियां | 22 | 118.55 | 285.59 |
| **कुल वर्तमान देनदारियां** | | **385.22** | **540.47** |
| **कुल इक्विटी एवं देनदारियां** | | **33,073.19** | **31,244.20** |
| **संलग्न की गई सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार** | | | |

**जी.पी. कपाड़िया एंड कंपनी के लिए**
**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण संख्या 104768W**
**हस्ता/-**
**सीए अतुल बी देसाई**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या 30850**

**स्थान: मुंबई**
**दिनांक: 30 जून 2025**
**यूडीआईएन : 25030850BMGXYW8711**

**कृते और निदेशक मंडल की ओर से**

**हस्ता/-**
**श्री नरेश कुमार**
**निदेशक**
**डीआईएन: 10043608**

**हस्ता/-**
**श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**DIN : 10687234**

**हस्ता/-**
**श्री संजय कुमार ओझा**
**सीएफओ एवं सीएस**
**स्थान: मुंबई**

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(लाख रु. में)

| विवरण | नोट क्र. | 31 मार्च, 2025 | 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|---|
| प्रचालनों से राजस्व | 23 | 843.05 | 926.64 |
| अन्य आय | 24 | 2409.79 | 2130.30 |
| **कुल आय** | | 3252.84 | 3056.94 |
| **खर्च** | | | |
| (a) खपत किए गए माल की लागत | | | 0.00 |
| (b) उप-संविदा व्यय | | 50.58 | 82.02 |
| (c) तैयार माल की माल-सूची में परिवर्तन, प्रगति पर कार्य तथा व्यापार में स्टॉक | 25 | 0.00 | 0.00 |
| (d) कर्मचारियों को लाभार्थ खर्च | 26 | 113.75 | 94.02 |
| (e) वित्तीय लागतें | | 0.00 | 0.00 |
| (f) मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च | 4 | 27.05 | 28.64 |
| (g) प्रचालन एवं अन्य खर्च | 27 | 514.82 | 526.34 |
| **कुल खर्च** | | **706.20** | **731.02** |
| **असाधारण मदों से पहले लाभ** | | **2546.64** | **2325.92** |
| असाधारण मद | | 0.00 | 0.00 |
| **कर भुगतान से पहले लाभ** | | **2546.64** | **2325.92** |
| **कर भुगतान:** | | | |
| (a) मौजूदा कर | 28 | 641.15 | 496.24 |
| (b) आस्थगित कर | 28 | 2.61 | -1.36 |
| **अवधि के लिए लाभ (A)** | | **1902.88** | **1831.04** |
| अन्य व्यापक आय | | | |
| A (i) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| (ii) वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा से संबंधित आयकर | | 0.00 | 0.00 |
| B (i) वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा | | 0.00 | 0.00 |
| (ii) वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा से संबंधित आयकर | | 0.00 | 0.00 |
| अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (B) | | 0.00 | 0.00 |
| **अवधि के लिए कुल अन्य व्यापक आय (A + B)** | | **1902.88** | **1831.04** |
| **प्रति शेयर आय** | | | |
| (a) मूलभूत | 29 | 142.64 | 137.31 |
| (b) विरलीकृत | 29 | 142.64 | 137.31 |

**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो स्टैंडअलोन IND AS वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं 1-29**
**संलग्न की गई सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

जी.पी. कपाड़िया एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 104768W
हस्ता/-
सीए अतुल बी देसाई
साझेदार
सदस्यता संख्या 30850

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 जून 2025
यूडीआईएन : 25030850BMGXYW8711

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
श्री नरेश कुमार
निदेशक
डीआईएन: 10043608

हस्ता/-
श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN : 10687234

हस्ता/-
श्री संजय कुमार ओझा
सीएफओ एवं सीएस
स्थान: मुंबई

| 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण | | (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| **विवरण** | **31 मार्च, 2025** | **31 मार्च, 2024** |
| **A.प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| **कर भुगतान से पहले (लाभ/(हानि)** | 2546.64 | 2325.92 |
| समायोजन | | |
| **मूल्यहास और परिशोधन** | **27.05** | **28.64** |
| ब्याज से आय | (2,247.17) | (1,995.25) |
| प्रावधान वापस लिखा गया | | |
| **कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन से उत्पन्न नगद/(व्यय)** | 326.52 | 359.31 |
| **कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले समायोजन :** | | |
| व्यापार प्राप्य में (बढोत्तरी)/ह्रास | (3.75) | 78.24 |
| गैर-मौजूदा-अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढोत्तरी)/ह्रास | (9.55) | 3.83 |
| अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों में (बढोत्तरी)/ह्रास | 278.37 | (96.63) |
| माल-सूची में (बढोत्तरी)/ह्रास | 0.00 | 0.00 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढोत्तरी)/ह्रास | (94.51) | (218.68) |
| अन्य मौजूदा परिसंपतियों में (बढोत्तरी)/ ह्रास | (12.75) | 15.22 |
| व्यापार देयताओ में बढोत्तरी/(ह्रास) | 23.43 | (6.59) |
| दीर्घकालिक – अन्य वित्तीय देनदारियों में बढोत्तरी/ (ह्रास) | 13.97 | 4.40 |
| दीर्घकालिक प्रावधानो में बढोत्तरी/(ह्रास) | 43.32 | (29.38) |
| अन्य दीर्घकालिक देनदारियों में बढोत्तरी/ (ह्रास) | 19.87 | 0.00 |
| मौजूदा – अन्य वित्तीय देनदारियों में बढोत्तरी/ (ह्रास) | 37.98 | 85.19 |
| मौजूदा प्रावधानों में बढोत्तरी/ (ह्रास) | (48.03) | 60.94 |
| अन्य मौजूदा देनदारियों में बढोत्तरी/ (ह्रास) | (167.04) | 202.08 |
| प्रचालन से उत्पन्न नकद | 407.83 | 457.93 |
| **भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर (शुद्ध पुनर्भुगतान)** | **(641.15)** | **(496.24)** |
| **प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकद प्रवाह : (A)** | **(233.32)** | **(38.31)** |
| **B निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह** | | |
| **स्थायी परिसंपत्तियों की (खरीद)/बिक्री (शुद्ध)** | (9.49) | -0.33 |
| (खरीद) / प्रगति पर पूंजीगत कार्य की बिक्री (शुद्ध) | (25.74) | |
| सावधि जमा पर ब्याज | 2,247.17 | 1,995.25 |
| 3 महीने से अधिक तथा 12 महीने से कम परिपक्वता वाले जमा में (बढ़ोतरी)/कमी | (2,222.64) | (2,536.44) |
| 12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले जमा में (बढ़ोतरी)/कमी | (480.09) | (1.11) |
| **निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद:** (B) | **(490.79)** | **(542.63)** |
| **C वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| **अंश पूंजी में (बढ़ोतरी)/ह्रास** | **0.00** | **0.00** |
| **वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह:** (C) | 0.00 | 0.00 |
| **नकद एवं नकद समतुल्यमें शुद्ध (बढ़ोतरी)/ह्रास** (A+B+C) | **(724.12)** | **(580.94)** |
| **D नकद एवं नकद समतुल्य** | | |
| प्रारम्भिक जमा | 4,942.79 | 5,523.74 |
| जमा शेष | 4,218.67 | 4,942.79 |
| | **(724.12)** | **(580.94)** |

नोट 1 - नकदी प्रवाह विवरण IND AS-7 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है।

नोट 2 - जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो स्टैंडअलोन IND AS वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं 1-29**

**संलग्न की गई सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

**जी.पी. कपाड़िया एंड कंपनी के लिए**
**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण संख्या 104768W**
**हस्ता/-**
**सीए अतुल बी देसाई**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या 30850**

**स्थान: मुंबई**
**दिनांक: 30 जून 2025**
**यूडीआईएन : 25030850BMGXYW8711**

**कृते और निदेशक मंडल की ओर से**

**हस्ता/-**
**श्री नरेश कुमार**
**निदेशक**
**डीआईएन: 10043608**

**हस्ता/-**
**श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**DIN : 10687234**

**हस्ता/-**
**श्री संजय कुमार ओझा**
**सीएफओ एवं सीएस**
**स्थान: मुंबई**

# 31 मार्च, 2025 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय कथनों के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले नोट्स

**नोट 1: कंपनी का विवरण**

रिचड्र्सन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड भारी उद्योग मंत्रालय प्रशासन के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय सर जे जे रोड, भायखला, मुंबई पर स्थित है। कंपनी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधित है। कंपनी की चार इकाइयां भायखला, मुलुंड, नागपुर, और चेन्नई में स्थित हैं। यह कंपनी सफलतम इंजीनियरींग कंपनियों में से एक है जिसने कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं जैसे सीएसएमटी की स्टील संरचना और घनसोली रेलवे स्टेशन, एलपीजी बुलेट्स, भोपाल स्थित भेल के लिए सम्पूर्ण सीएनसी ब्लॉक, आदि पूर्ण किए हैं। 06.10.2016 यूनियन केबिनेट के निर्णय के अनुसार चेन्नई की इकाई बंद कर दी गई है तथा नागपुर इकाई का भी संचालन नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में कंपनी संचालन के पुनर्गठन के अधीन है। पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी द्वारा किए गए परिचालन की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

रिचड्र्सन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मार्च 1973 के 15वें दिन एक सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी ने 15 मार्च, 1973 को रिचर्डसन एंड क्रुडास लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1972 नामक संसद के एक अधिनियम के माध्यम से रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड के नाम पर रिचर्डसन और क्रुडास लिमिटेड की संपत्ति और देनदारियों को अपने कब्जे में ले लिया।

**नोट 2: तैयारी का आधार, माप और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

**1. वित्तीय कथन बनाने के लिए आधार**

**a) अनुपालन का विवरण**

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 संशोधित और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इसके बाद ' Ind AS' के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 'IND AS' के तहत तैयार किए गए तुलनात्मक रूप से पहले वित्तीय विवरण हैं।

यह वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रदर्शित हैं और अन्यथा बताए जाने के अलावा सभी मूल्यों को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है।

**b) मात्रक का आधार**

इन स्टैन्डअलोन विवरणों को, जैसा कि लेखांकन नीतियों में उल्लेखित है, कुछ वित्तीय उपकरणों, जिन्हें हर रीपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अंतर्गत लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

**c) अनुमानों एवं निर्णयों का उपयोग**

'IND AS' के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक

परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

**मौजूदा बनाम गैर-मौजूदा वर्गीकरण**

कंपनी मौजूदा/गैर-मौजूदा वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट में प्रस्तुत करती है।

एक संपत्ति को मौजूदा संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब

- उसे सामान्य परिचालन चक्र में बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद है या उद्दिष्ट है
- वह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई है।
- जिनकी रिपोर्टिंग की दिनांक के बारह महीनों के भीतर साकार होने की उम्मीद हो, या
- नकद या उसके बराबर हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए किसी दायित्व का निपटान करने के लिए इसका आदान-प्रदान या उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो

अतिरिक्त सभी सभी संपत्तियाँ गैर-मौजूदा के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

एक देनदारी को मौजूदा देनदारी के अंतर्गत रखा जाता है जब:

- सामान्य परिचालन चक्र में इसका निपटारा होने की उम्मीद हो,
- इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना हो, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त का अधिकार नहीं है।

अतिरिक्त सभी सभी देनदारियाँ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के आधार पर, परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से परिचालन चक्र 12 महीने निर्धारित किया गया है।

परिचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद और नकद तुल्य में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है।

**2. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)**

संपत्ति संयंत्र और उपकरण उनके अधिग्रहण की लागत पर बताए गए हैं। लागत में उनका खरीद मूल्य, यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे किए जाते हैं (योग्य परिसंपत्तियों के मामले में) तो उधार लेने की लागत और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। खरीद मूल्य की गणना के लिए व्यापार छूट और कटौती को घटाया जाता है।

Ind AS में परिवर्तन पर, कंपनी ने 1 अप्रैल 2022 को मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पिछले GAAP के अनुसार मापे गए मूल्य को जारी रखने और उस मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानी गई लागत के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है।.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी अवधि के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार लगाया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जातीहै और यदि उपयुक्त हो तो, इन्हें संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

**3. पट्टे**

पट्टेदार के रूप में कंपनी

ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को अंतर्निहित परिसंपत्ति की प्रकृति के अनुसार पहचाना और प्रस्तुत किया जाता है।

किराये की आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार लिखा जाता है, सिवाय उन मामलों के कि किराए में निर्धारित वृद्धि से कंपनी को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत की भरपाई होती है।

**4. अमूर्त संपत्ति**

खरीदी गई अमूर्त संपत्तियों को संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण की तारीख के अनुसार, जैसा लागू हो, लागत पर मापा जाता है।

**5. उचित मूल्य मापन**

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या जिसका माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन के अंतर्गत देयता का निपटान करने के लिए भुगतान किया जाएगा, भले ही वह कीमत सीधे देखने योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित हो।

**6. वस्तु सूची**

कच्चे माल, घटकों, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स को फीफो (FIFO) आधार पर लागत मूल्य पर मापा जाता है

कार्य-प्रगति का निर्धारण पूर्णता की लागत और अस्वीकार्य वृद्धि दावों पर विचार किए बिना लागत में कमी या भविष्य की बिलिंग के आधार पर किया जाता है। लागत का अर्थ है खर्च की गई लागत।

तैयार माल का निर्धारण कम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किया जाता है।

अनुपयोगी अथवा वियोजित उपकरण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर निर्धारित होते हैं।

स्क्रैप का निर्धारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

**7. मान्य आय**

कंपनी मुख्य रूप से संपत्तियों के किराये के साथ-साथ परियोजना अनुबंध परामर्श से आय प्राप्त करती है। आय को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट विचार के आधार पर मापा जाता है।

**a. परियोजना अनुबंध परामर्श**

आय को ग्राहकों को वादा की गई सेवाओं के नियंत्रण के हस्तांतरण पर मान्यता दी जाती है, जो उस राशि को दर्शाती है जो कंपनी उन सेवाओं के बदले में प्राप्त करने की उम्मीद करती है। सेवाओं की व्यवस्था या तो एक निश्चित मूल्य, निश्चित-समय-सीमा या समय के आधार पर होती है।

व्यापार प्राप्य और बिल न की गई आय को बैलेंस शीट में शुद्ध हानि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

**b. किराये से होने वाली आय**

किराये की आय को लीज अवधि के दौरान सीधी-रेखा पद्धति के आधार पर पहचाना जाता है, सिवाय इसके कि किराए में निर्धारित वृद्धि से कंपनी को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत की भरपाई होती है।

**c. ब्याज से आय**

वित्तीय परिसंपत्तियों से होने वाली ब्याज की आय को तब मान्य किया जाता है जब यह संभावित हो कि इनसे कंपनी को आर्थिक लाभ होगा और इस आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो। ब्याज की आय समय के आधार पर मूलधन के संदर्भ में और एक प्रभावी दर से प्राप्त होती है।

**d. अन्य प्रचालन आय**

अन्य प्रचालन उस आय को दर्शाती है जो व्यवसाय में अचानक होने वाली गतिविधियों से प्राप्त होती है तथा तब मान्य होती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्थापित हो जाए।

**8. कर्मचारी लाभ**

**i. परिभाषित योगदान योजना**

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भविष्यनिधि, 1995 तथा कंपनी की सेवानिवृत्ति योजना में दिया गया/दिया जाने वाला योगदान लाभ तथा हानि विवरण में उसी संदर्भ में दिया गया है।

**ii. परिभाषित लाभ योजना**

अनुमानित क्रेडिट पद्धति का उपयोग कर के वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा ग्रेच्युटी लाभ के प्रति कंपनी की देनदारी सुनिश्चित की जाती है। बीमांकिक लाभ या हानि अन्य व्यापक आय के अंतर्गत रखी जाती है।

**iii. अन्य दीर्घकालिक लाभ**

अनुमानित क्रेडिट पद्धति का उपयोग कर के वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा दीर्घकालिक सेवा अवॉर्ड और छुट्टियों (कमाई गई और बीमारी) के प्रति देनदारी सुनिश्चित की जाती है। बीमांकिक लाभ एवं हानि, लाभ तथा हानि के विवरण में लिखे जाते हैं।

**iv. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**

अल्पकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लागतें जैसे वेतन और अन्य भत्ते, पीआरपी और अल्पकालिक मुआवज़े वाली छूटियाँ शामिल की जाती हैं जो कि उस संदर्भित वर्ष के लिए होती हैं जिसमें कर्मचारी ने कंपनी को अपनी सेवाएं दी हों।

**v. कर्मचारी वियोजन लागत**

कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को दिया गया अनुग्रह अनुदान इस विकल्प की प्रबंधन द्वारा स्वीकृति के वर्ष में लाभ और हानि विवरण के अंतर्गत लिखा जाता है।

**9. प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ**

एक प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रावधानों पर उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो, छूट दी जाती है।

आकस्मिक देनदारियाँ, उनमें शामिल मामलों के तथ्यों और कानूनी पहलुओं के सावधानीपूर्वक किए गए मूल्यांकन के पश्चात प्रबंधन के निर्णय के अनुसार घोषित किए जाते हैं।

**10. आय कर**

आय कर भुगतान के अंतर्गत वर्ष के दौरान मौजूदा कर भुगतान और आस्थगित कर परिसंपत्ति या देनदारी में शुद्ध बदलाव शामिल होते हैं। मौजूदा और आस्थगित कर लाभ -हानि विवरण में लिखे जाते हैं, सिवाय इसके कि यह सीधे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, जिस स्थिति में इन्हें क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त हो।

**a. मौजूदा कर**

मौजूदा आयकर को कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली या उनसे वसूल की जाने वाली अपेक्षित राशि पर कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है जो बैलेंस शीट की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हों। कंपनी साल-दर-साल आधार पर, जहां उसके पास ऐसा करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और जहां वह ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा रखती है, वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई करती है, ।

**b. आस्थगित कर**

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अंतर के रूप में पहचाना जाता है और बैलेंस शीट देयता पद्धति का उपयोग करके इसका हिसाब लगाया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचाना जाता है, और आस्थगित कर संपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए तब तक माना जाता है कि यह संभव हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। उन संपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर ख्याति से या लेनदेन में अन्य संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

लाभ और हानि से बाहर कि मदों से संबंधित आस्थगित कर या तो व्यापक आय या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक बैलन्स शीट दिनांक पर की जाती है और उस हद तक कम की जाती है की संपत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मिल पाए।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब मौजूदा कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब वे उसी कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होते हैं और कंपनी अपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को एक शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा रखती है।

**11. संपत्तियों की क्षति**

**a) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति**

व्यापार प्राप्य और पत्ता प्राप्य के संदर्भ में हानि भत्ता हमेशा के अनुमानित क्रेडिट हानि की राशि के बराबर मापा जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि भत्ता, जिन्हें क्षति में लिखना आवश्यक है, को हमेशा की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया हो। हालाँकि, यदि, रिपोर्टिंग तिथि पर, प्रारंभिक मान्यता के बाद से किसी वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई हो, तो हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

**b) गैर- वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति**

जहां क्षति के संकेत होते हैं वहाँ नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों की वहन राशि समीक्षा हर रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है।क्षति से होने वाली हानि को लाभ तथा हानि विवरण में लिखा जाता है जब नकद उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो। पूर्व की अवधियों में प्राप्त क्षति से हुई हानि का मूल्यांकन हर रिपोर्टिंग तारीख पर यह देखने के लिए किया जाता है कि हानि की मात्रा कम हुई या खत्म हुई है।

यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में बदलाव होता है तो क्षति से हुई हानि को उलट दिया जाता है। कहती से हुई हानि को सिर्फ उसी मात्रा तक उलटा जा सकता है कि परिसंपत्ति की वहन राशि क्षति से हानि न होने पर शुद्ध मूल्यहास और परिशोधन के पश्चात निकाली गई वहन राशि से अधिक न हो।

**12. खंड रिपोर्टिंग**

कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि किराये की आय है, कंपनी परियोजना प्रबंधन अनुबंध भी करती है जो कि कुल आय का 10% से भी कम बनाते हैं, तदनुसार खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**13. नकद और नकद समतुल्य**

नकद के अंतर्गत हाथ में नकद एवं बैंक जमा शामिल होते हैं। नकद समतुल्य वह अत्यधिक तरल सावधि जमा हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय होते हैं तथा जो मूल्य में बदलाव के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

**14. प्रति अंश आय**

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के दौरान होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति अंश डाईल्यूटेड आय प्रति शेयर मूल आय को पता -लगाने में उपयोग की जाने वाली राशि को निम्न को जानने के लिए समायोजित करती है:

ब्याज का आयकर के पश्चात का प्रभाव और डाईल्यूटिव पॉटेंशियल एक्विटी शेयरों से संबंधित अन्य वित्तीय लागतें, और

इक्विटी शेयरों का भारित औसत क्रमांक जो सभी डाईल्यूटिव पॉटेंशियल एक्विटी के रूपांतरण को मानते हुए बकाया होती।

## इक्विटी में बदलाव का विवरण मार्च 31, 2025 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए

**A. इक्विटी अंश पूंजी** (लाख रुमें.)

| 1000 रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर जारी, सदस्यता और पूर्ण भुगतान | अंशों की संख्या | | राशि | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-34 |
| वर्ष के प्रारंभ में जमा | 13,33,505 | 13,33,505 | 13,335.05 | 13,335.05 |
| वर्ष के दौरान इक्विटी अंश पूंजी में बदलाव | - | - | - | - |
| वर्ष के अंत में जमा | 13,33,505 | 13,33,505 | 13,335.05 | 13,335.05 |

**B. अन्य इक्विटी**

**मार्च 31, 2025 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए** (₹. in lakhs)

| विवरण | भंडार और अधिशेष | | कुल अन्य इक्विटी |
|---|---|---|---|
| | सामान्य भंडार | प्रतिधारित कमाई | |
| अप्रैल **01, 2023** को जमा<br>जोड़ें : वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | 43,478.39 | (33,135.61) | 10,342.78 |
| मार्च **31, 2024** को जमा | | 1,831.04 | 1,831.04 |
| जोड़ें : वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | 43,478.39 | (31,304.57) | 12,173.82 |
| मार्च **31, 2025** को जमा | | 1,902.88 | 1,902.88 |
| अप्रैल **01, 2023** को जमा<br>जोड़ें : वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | 43,478.39 | (29,401.69) | 14,076.70 |

महत्वपूर्ण एकाउंटिंग नीतियां और स्टैंडअलोन **IND AS** वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नोट्स **1-29**

**जी.पी. कपाड़िया एंड कंपनी के लिए**
**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण संख्या 104768W**
**हस्ता/-**
**सीए अतुल बी देसाई**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या 30850**

**स्थान: मुंबई**
**दिनांक: 30 जून 2025**
**यूडीआईएन : 25030850BMGXYW8711**

**कृते और निदेशक मंडल की ओर से**

**हस्ता/-**
**श्री नरेश कुमार**
**निदेशक**
**डीआईएन: 10043608**

**हस्ता/-**
**श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**DIN : 10687234**

**हस्ता/-**
**श्री संजय कुमार ओझा**
**सीएफओ एवं सीएस**
**स्थान: मुंबई**

**नोट 3 -** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी के दूसरे वार्षिक वित्तीय विवरण हैं, जो संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (IND AS) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

**नोट संख्या 4**
**संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी** (लाख रु. में)

| विवरण | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि, 31.03.2025 के अंत तक के आंकड़े | पिछली रिपोर्टिंग अवधि, 31.03.2024 के अंत तक के आंकड़े |
|---|---|---|
| **(क) मूर्त संपत्तियां** | | |
| सकल ब्लॉक* | 720.96 | 711.46 |
| घटा: हानि प्रावधान | (4.79) | (4.79) |
| घटा: संचित मूल्यहास | (86.63) | (59.58) |
| **शुद्ध ब्लॉक** | **629.54** | **647.09** |
| *सकल ब्लॉक, संयंत्र और मशीनरी के हानि प्रावधान को घटाकर 4.79 लाख रुपये है। | | |
| **(ख) प्रगति पर पूंजीगत कार्य** | | |
| संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य उपकरण | 440.20 | 414.46 |
| घटाएँ: प्रावधान | (414.46) | (414.46) |
| | **25.74** | - |

प्रगति पर पूंजीगत कार्य में ट्यूबलर परियोजना की वेल्डिंग प्रणाली के लिए 411.19 लाख रुपये और प्रयोगशाला भवन के लिए 3.27 लाख रुपये शामिल हैं, जिसके लिए कंपनी द्वारा 414.46 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।

**सीडब्ल्यूआईपी आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च, 2025 तक** (लाख रु. में)

| विवरण | सीडब्ल्यूआईपी में जमा राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| प्रगतिशील परियोजनाएँ | 25.74 | - | - | - | 25.74 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ | - | - | - | 414.46 | 414.46 |

**सीडब्ल्यूआईपी आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च, 2024 तक** (लाख रु. में)

| विवरण | सीडब्ल्यूआईपी में जमा राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| प्रगतिशील परियोजनाएँ | - | - | - | - | - |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ | - | - | - | 414.46 | 414.46 |

| परिसंपत्तियाँ - गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **01.04.2024 को सकल ब्लॉक लागत** | **परिवर्धन और समायोजन** | **कटौती / समायोजन** | **31.03.2025 पर कुल लागत** | **को संचित मूल्यहास** | **वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन** | **मूल्यहास/ समायोजन** | **के लिए संचयी मूल्यह्रास** | **31.03.2025 को शुद्ध ब्लॉक** | **01-04-2024 को शुद्ध ब्लॉक** |
| **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण** | | | | | | | | | | |
| पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि | 147.86 | | | 147.86 | - | - | - | - | 147.86 | 147.86 |
| पट्टे की भूमि ^ | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - |
| भवन | 431.99 | | | 431.99 | 26.06 | 12.35 | - | 38.41 | 393.58 | 405.93 |
| विद्युत संस्थापनाएं | 18.09 | | | 18.09 | 6.55 | 3.37 | - | 9.92 | 8.17 | 11.54 |
| रेलवे स्लाइडिंग | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| वाहन | 4.68 | | | 4.68 | 2.63 | - | - | 2.63 | 2.05 | 2.05 |
| फ़र्निचर एवं फिक्स्चर | 43.17 | 0.29 | | 43.46 | 19.23 | 8.58 | - | 27.81 | 15.65 | 23.94 |
| कार्यालय एवं अन्य उपकरण | 3.38 | | | 3.38 | 1.14 | 0.14 | - | 1.28 | 2.10 | 2.24 |
| इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग उपकरण | 1.97 | 9.20 | | 11.17 | 0.45 | 0.91 | - | 1.36 | 9.81 | 1.52 |
| संयत्र एवं उपकरण | 60.33 | | | 60.33 | 3.52 | 1.70 | - | 5.22 | 55.11 | 56.81 |
| घटाएं : क्षति के लिए प्रावधान<br>पी और एम | -4.79 | | | -4.79 | - | - | - | - | -4.79 | -4.79 |
| | | | | - | | | | | | |
| अमूर्त परिसंपत्तियाँ | | | | - | | | | | | |
| सॉफ्टवेयर | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | | | |
| **कुल** | **706.67** | **9.49** | **-** | **716.16** | **59.58** | **27.05** | **-** | **86.63** | **629.54** | **647.10** |
| | | | | | | | | | | |
| **नोट - 4.1 -** संयंत्र और मशीनरी अवधि के दौरान अप्रयुक्त हैं, वे वसूली योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए लंबित हैं। | | | | | | | | | | |

| नोट क्र – 5 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसम्पत्तियाँ -व्यापार प्राप्य** | | | | (लाख रु. में) |
| **विवरण** | **31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि** | | **31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि** | |
| | **गैर-मौजूदा** | **मौजूदा** | **गैर-मौजूदा** | **मौजूदा** |
| व्यापार प्राप्य | 93.67 | 29.12 | 5.67 | 113.37 |
| खराब साख | 5,121.27 | - | 5,139.21 | - |
| | 5,214.94 | 29.12 | 5,144.88 | 113.37 |
| घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता | (5,121.27) | - | (5,139.21) | - |
| कुल व्यापार प्राप्य (शुद्ध) | **93.67** | **29.12** | **5.67** | **113.37** |

व्यापार प्राप्यों की हानि के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण **Ind AS** 109 के अनुरूप किया जाता है।

**मार्च 31, 2025 को गैर-मौजूदा व्यापार प्राप्य ऐजिंग स्केजूल** (लाख रु. में)

| **विवरण** | **भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6 महीने से कम** | **6 महीने से 1वर्ष** | **1-2 वर्ष** | **2-3 वर्ष** | **3 वर्षों से अधिक** | **कुल** |
| गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया | **-** | **-** | **0.55** | **93.12** | **-** | **93.67** |
| गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब | | | **-** | | **-** | **-** |
| विवादित व्यापार प्राप्य- माना गया | | | **-** | | **-** | **-** |
| विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब | | | **-** | | **5,121.27** | **5,121.27** |

**मार्च 31, 2025 को मौजूदा व्यापार प्राप्य ऐजिंग स्केजूल** (लाख रु. में)

| **विवरण** | **भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6 महीने से कम** | **6 महीने से 1वर्ष** | **1-2 वर्ष** | **2-3 वर्ष** | **3 वर्षों से अधिक** | **कुल** |
| गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया | 18.07 | 11.05 | - | - | - | 29.12 |
| गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब | - | - | - | - | - | - |
| विवादित व्यापार प्राप्य- माना गया | - | - | - | - | - | - |
| विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब | - | - | - | - | - | - |

**मार्च 31, 2024 को गैर-मौजूदा व्यापार प्राप्य ऐजिंग स्केजूल** (लाख रु. में)

| **विवरण** | **भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6 महीने से कम** | **6 महीने से 1वर्ष** | **1-2 वर्ष** | **2-3 वर्ष** | **3 वर्षों से अधिक** | **कुल** |
| गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया | - | - | 5.64 | 0.03 | - | 5.67 |
| गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब | - | - | - | - | - | - |
| विवादित व्यापार प्राप्य- माना गया | - | - | - | - | - | - |
| विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब | - | - | - | 3.50 | 5,135.71 | 5,139.21 |

**मार्च 31, 2024 को मौजूदा व्यापार प्राप्य ऐजिंग स्केजूल** (लाख रु. में)

| **विवरण** | **भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6 महीने से कम** | **6 महीने से 1वर्ष** | **1-2 वर्ष** | **2-3 वर्ष** | **3 वर्षों से अधिक** | **कुल** |
| गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया | 25.88 | - | 87.49 | - | - | 113.37 |
| गैर-विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब | - | - | - | - | - | - |
| विवादित व्यापार प्राप्य- माना गया | - | - | - | - | - | - |
| विवादित व्यापार प्राप्य- साख खराब | - | - | - | - | - | - |

**नोट क्र.**- 6

**वित्तीय परिसंपत्तियाँ – अन्य (गैर – मौजूदा)** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | |
|---|---|---|---|---|
| 12 महीनों से अधिक परिपक्वता अवधि के सावधि जमा* | | 481.99 | | **1.90** |
| कर्मचारियों को अग्रिम जमा | 6.47 | | 6.47 | |
| घटाएं : ख़राब और संदिग्ध अग्रिम जमा के लिए भत्ते | (6.47) | - | (6.47) | - |
| जमा | 110.42 | | 100.87 | |
| घटाएं : ख़राब और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते | ***(85.50)*** | **24.92** | ***(85.50)*** | ***15.37*** |
| | | ***506.91*** | | ***17.27*** |

* निर्धारित

**नोट क्र.**- 7

**अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | |
|---|---|---|---|---|
| अपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम जमा | 853.00 | | 851.85 | |
| घटाएं : ख़राब एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते | (851.85) | 1.15 | (851.85) | - |
| उप-ठेकेदारों को अग्रिम जमा | 10.60 | | 10.60 | |
| घटाएं : ख़राब एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते | (10.60) | - | (10.60) | - |
| उत्पाद शुल्क के लिए जमा | 18.09 | | 18.09 | |
| घटाएं : ख़राब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते | (18.09) | - | (18.09) | - |
| बिक्री कर के लिए जमा | - | | - | |
| घटाएं : ख़राब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते | - | | - | |
| सेवा कर के लिए जमा | 18.15 | | 18.15 | |
| घटाएं : ख़राब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते | (18.15) | - | (18.15) | - |
| सीमा शुल्क के लिए जमा | 0.44 | | 0.44 | |
| घटाएं : ख़राब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते | (0.44) | - | (0.44) | - |
| आय कर के लिए जमा | 770.43 | | 1,096.95 | |
| घटाएं : ख़राब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते | (0.50) | 769.93 | (0.50) | 1,096.45 |
| अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए जमा | 120.00 | | 120.00 | |
| घटाएं : ख़राब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते | (120.00) | - | 120.00 | - |
| दावे और अन्य पुनर्प्राप्ति योग्य वस्तुएँ | 56.16 | | 56.16 | |
| घटाएं : ख़राब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते | (56.16) | - | 56.16 | - |
| अन्य अग्रिम = | 59.89 | | 12.89 | |
| घटाएं : ख़राब और संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते | (12.89) | 47.00 | 12.89 | - |
| | | 818.08 | | 1,096.45 |

**नोट क्र.- 8**

**वस्तु सूची** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि |
|---|---|---|
| कच्चा माल | 19.47 | 19.47 |
| चालू कार्य | 102.49 | 102.49 |
| तैयार माल | 7.24 | 7.24 |
| स्क्रैप और घटक | 12.96 | 12.96 |
| | 142.16 | 142.16 |

नोट क्र.- 8.1 - प्राप्ति मूल्य के निर्धारण हेतु लंबित अवधि में इनवेंटरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए, इसका खुलासा एनआरवी के बजाय लागत पर किया गया है।

**नोट क्र.-9**

**वित्तीय परिसंपत्तियाँ -नकद और नकद समतुल्य (मौजूदा)** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि |
|---|---|---|
| **नकद और नकद समतुल्य** | | |
| बैंक में जमा | 141.70 | 142.30 |
| नकद | 0.52 | 0.49 |
| जमा जिनकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक न हो | 4,076.45 | 4,800.00 |
| निर्धारित जमा जिनकी परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक न हो | | |
| | **4,218.67** | **4,942.79** |

**नोट क्र.- 10**

**वित्तीय परिसंपत्तियाँ - बैंक जमा (मौजूदा)** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि |
|---|---|---|
| सावधि जमा जिनकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक हो पर 12 महीने से अधिक न हो | 25,568.12 | 23,351.66 |
| निर्धारित जमा जिनकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक हो किन्तु 12 महीने से अधिक न हो | 16.27 | 10.09 |
| | **25,584.39** | **23,361.75** |

**नोट क्र.- 11**

वित्तीय परिसंपत्तियाँ -अन्य (मौजूदा) (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि |
|---|---|---|
| कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान | 0.06 | 0.36 |
| बैंक जमा पर ब्याज | 1,003.54 | 908.73 |
| | **1,003.60** | **909.09** |

**नोट क्र.**-12

**अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि |
|---|---|---|
| अपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान | 4.10 | 3.94 |
| GST में जमा | 16.85 | 4.25 |
| पूर्वदात व्यय | 0.36 | 0.37 |
| | **21.31** | **8.56** |

**नोट क्र.- 13**

**अंश पूंजी**

(लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | |
|---|---|---|---|---|
| | अंशों की संख्या (अंकित मूल्य रुपये में) | राशि | अंशों की संख्या (अंकित मूल्य रुपये में) | राशि |
| **इक्विटी अंश पूंजी** | | | | |
| **अधिकृत** | 14,00,000 | 14,000.00 | 14,00,000 | 14,000.00 |
| (प्रति अंश अंकित मूल्य) | (1000) | | (1000) | |
| नोट : 232,600 (गत वर्ष 232,600) 1000 रुपये प्रत्येक के 8% प्रतिदेय गैर संचयी वरीयता शेयरों को ऊपर नहीं माना गया है, जारी किए गए शेयरों को दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व माना गया है। | | | | |
| **जारी, अभदत्त और पूर्ण भुगतान वाले** | 13,33,505 | 13,335.05 | 13,33,505 | 13,335.05 |
| (अंकित मूल्य) | (1000) | | (1000) | |
| **बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का समाधान** | | | | |
| वर्ष की शुरुआत में जमा | | | | |
| जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्तन | 13,33,505 | 13,335.05 | 13,33,505 | 13,335.05 |
| वर्ष के अंत पर जमा | - | - | - | - |
| | 13,33,505 | 13,335.05 | 13,33,505 | 13,335.05 |
| **5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण** | | | | |
| भारत के राष्ट्रपति (प्रोत्साहक) | | | | |
| होल्डिंग का प्रतिशत | 13,33,505 | 13,335.05 | 13,33,505 | 13,335.05 |
| (6 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति की ओर से 6 नामांकित व्यक्तियों के पास हैं।) | | 100% | | 100% |

**इक्विटी अंशों से जुड़ी शर्तें और अधिकार**

कंपनी के पास इक्विटी अंशों का मात्र एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर मूल्य रु. 1000 है(गत वर्ष रु. 1000 प्रति शेयर) इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक लाभांश प्राप्त करने का हकदार है और शेयर धारकों की बैठक में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान का अधिकार पाने का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे, सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे, वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा

**कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी या सहायक या होल्डिंग की सहयोगी कंपनी नहीं हैं।**

**पिछले 5 वर्षों में कोई अंश वापस नहीं खरीदा गया है।**

**नोट क्र - 14**

**अन्य इक्विटी**

(लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य संचय | | 43,478.39 | | 43,478.39 |
| **प्रतिधारित कमाई** | | | | |
| प्रारंभिक जमा | (31,304.57) | | (33,135.61) | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ | 1,903.18 | (29,401.39) | 1,831.04 | (31,304.57) |
| | | **14,077.00** | | **12,173.82** |

**नोट क्र - 15**

**वित्तीय देनदारियाँ - व्यापार देय** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर-मौजूदा | मौजूदा | गैर-मौजूदा | मौजूदा |
| **व्यापार देय** | | | | |
| (i) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यम का कुल बकाया | - | 19.30 | - | 1.72 |
| (ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया | 1,075.17 | 49.51 | 1,073.58 | 45.52 |
| | **1,075.17** | **68.81** | **1,073.58** | **47.24** |

**गैर-मौजूदा व्यापार देयता एजिंग शेड्यूल - 31 मार्च 2025 तक** (लाख रु. में)

| विवरण | भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 साल से अधिक अवधि के लिए | कुल |
| एमएसएमई | | | | | |
| अन्य | - | 0.22 | 1.39 | 8.45 | 10.06 |
| विवादित बकाया - एमएसएमई | | | | | |
| विवादित बकाया - अन्य | | | | 1,065.10 | 1,065.10 |
| | | | | | **1,075.16** |

**गैर-मौजूदा व्यापार देयता एजिंग शेड्यूल - 31 मार्च 2024 तक** (लाख रु. में)

| विवरण | भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 साल से अधिक अवधि के लिए | कुल |
| एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| अन्य | - | 1.29 | 7.02 | - | 8.31 |
| विवादित बकाया - एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| विवादित बकाया - अन्य | - | - | - | 1,065.27 | 1,065.27 |
| | - | 1.29 | 7.02 | 1,065.27 | 1,073.58 |

**मौजूदा व्यापार देयता एजिंग शेड्यूल - 31 मार्च 2025 तक** (लाख रु. में)

| विवरण | भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 साल से अधिक अवधि के लिए | कुल |
| एमएसएमई | 19.30 | | | | 19.30 |
| अन्य | 29.63 | - | - | 20.15 | 49.78 |
| विवादित बकाया - एमएसएमई | | | | | |
| विवादित बकाया - अन्य | | | | | |
| | 48.93 | - | - | 20.15 | 69.08 |

**मौजूदा व्यापार देयता एजिंग शेड्यूल - 31 मार्च 2024 तक** (लाख रु. में)

| विवरण | भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 साल से अधिक अवधि के लिए | कुल |
| एमएसएमई | 1.72 | - | - | - | 1.72 |
| अन्य | 23.78 | 0.11 | 21.58 | 0.05 | 45.52 |
| विवादित बकाया - एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| विवादित बकाया - अन्य | - | - | - | - | - |
| | 25.50 | 0.11 | 21.58 | 0.05 | 47.24 |

**नोट क्र – 16**

**अन्य वित्तीय देनदारियाँ (गैर-मौजूदा)** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि |
|---|---|---|
| वेतन एवं प्रतिपूर्ति | 8.44 | 25.44 |
| पट्टा सुरक्षा जमा प्राप्त | 156.10 | 125.33 |
| सुरक्षा जमा प्राप्त हुई | 279.91 | 279.71 |
| | **444.45** | **430.48** |

**नोट क्र - 17**

**प्रावधान (गैर-मौजूदा)** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि |
|---|---|---|
| कर्मचारी लाभ के प्रावधान | | |
| उपदान | 27.47 | 6.44 |
| छुट्टी का नकदीकरण | 38.85 | 16.56 |
| | **66.32** | **23.00** |

**नोट क्र - 18**

**आस्थगित कर देयता (शुद्ध)** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | |
|---|---|---|---|---|
| **आस्थगित देयता (A)** | | | | |
| मूल्यह्रास (पीपी एंड ई और अमूर्त संपत्ति) | | 64.41 | | 64.42 |
| | | 64.41 | | 64.42 |
| **आस्थगित संपत्ति (B)** | | | | |
| भुगतान के आधार पर बकाया राशि | | (18.40) | | (21.02) |
| **Net A-B** | | **46.01** | | **43.40** |

**नोट क्र - 19**

**अन्य गैर- मौजूदा देयता** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि |
|---|---|---|
| केंद्रीय उत्पाद शुल्क. सीमा शुल्क, वैट और सेवा कर | 15.30 | 15.30 |
| पीएफ और अन्य कर्मचारी कटौती | 0.03 | 0.03 |
| ग्राहक से अग्रिम | 376.59 | 376.59 |
| अग्रिम किराया | 2.27 | 0.07 |
| अन्य देनदारियाँ | 868.77 | 851.10 |
| आर एंड सी बांड धारक | 45.91 | 45.91 |
| रेलवे साइडिंग किराया देय | 9.40 | 9.40 |
| | **1,318.27** | **1,298.40** |

**नोट क्र - 20**

**अन्य वित्तीय देनदारियाँ (मौजूदा)** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि |
|---|---|---|
| वेतन एवं प्रतिपूर्ति | 2.50 | 0.44 |
| पट्टा सुरक्षा जमा प्राप्त | - | 29.59 |
| सुरक्षा जमा प्राप्त हुई | 135.21 | 69.70 |
| | **137.71** | **99.73** |

**नोट क्र - 21**

**प्रावधान (मौजूदा)** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि |
|---|---|---|
| कर्मचारी लाभ के प्रावधान | | |
| उपदान | 0.65 | 19.42 |
| छुट्टी का नकदीकरण | 2.21 | 20.95 |
| कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व | 57.02 | 67.54 |
| | **59.88** | **107.91** |

**नोट क्र - 22**

**अन्य मौजूदा देयता** (लाख रु. में)

| विवरण | 31.03.2025 को खत्म होने वाली वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि | 31.03.2024 को खत्म होने वाली पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि |
|---|---|---|
| आयकर देय | 47.48 | 187.35 |
| पीएफ और अन्य कर्मचारी कटौती | 2.74 | 1.38 |
| स्रोत पर कर कटौती (जीएसटी) | 1.43 | 0.28 |
| ग्राहक से अग्रिम | - | - |
| अग्रिम किराया | 25.05 | 36.63 |
| जीएसटी | 15.94 | 7.29 |
| अन्य देनदारियाँ | 17.50 | 49.25 |
| स्रोत पर कर कटौती (आईटी) | 8.41 | 3.41 |
| | **118.55** | **285.59** |

**नोट क्र - 23**

**संचालन से राजस्व** (लाख रु. में)

| विवरण | 01-04-2024 से 31-03-2025 | 01-04-2023 से 31-03-2024 |
|---|---|---|
| **सेवाओं की बिक्री** | | |
| अनुबंधों से आय (परियोजनाएँ) | 56.20 | 77.11 |
| परामर्श शुल्क | - | 14.03 |
| **कुल- A** | **56.20** | **91.14** |
| **अन्य परिचालन आय** | | |
| प्राप्त किराया | 786.85 | 835.50 |
| **कुल - B** | **786.85** | **835.50** |
| **संचालन से राजस्व (A + B)** | **843.05** | **926.64** |

परिचालन से प्राप्त राजस्व में वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं है

**नोट क्र - 24**

**अन्य आय** (लाख रु. में)

| विवरण | 01-04-2024 से 31-03-2025 | 01-04-2023 से 31-03-2024 |
|---|---|---|
| **ब्याज आय*** | | |
| बैंक जमा से | 2,247.17 | 1,995.25 |
| आय कर पुनर्भुगतान पर | 99.18 | 131.23 |
| बिक्री कर रिफंड पर | - | - |
| जमा अन्य | 3.83 | 3.64 |
| **कुल- (A)** | **2,350.18** | **2,130.12** |
| अन्य आय | | |
| विविध रसीदें | 0.23 | 0.18 |
| देयताएं वापस लिखी गईं | 24.44 | - |
| बिना आवश्यकता वाले प्रावधान बंद के बिना आवश्यक | 34.94 | - |
| **कुल – B** | **59.61** | **0.18** |
| **कुल अन्य आय (A+B)** | **2,409.79** | **2,130.30** |

* टीडीएस शामिल

**नोट क्र - 25**

**तैयार माल, प्रगति पर कार्य और स्क्रैप की सूची में परिवर्तन (वृद्धि) / कमी** (लाख रु. में)

| विवरण | 01-04-2024 से 31-03-2025 | 01-04-2023 से 31-03-2024 |
|---|---|---|
| **वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी** | | |
| तैयार माल | 7.24 | 7.24 |
| कार्य प्रगति पर | 102.49 | 102.49 |
| स्क्रैप और घटक | 12.96 | 12.96 |
| **कुल (A)** | **122.69** | **122.69** |
| **वर्ष के अंत में इन्वेंटरी** | | |
| तैयार माल | 7.24 | 7.24 |
| कार्य प्रगति पर | 102.49 | 102.49 |
| स्क्रैप और घटक | 12.96 | 12.96 |
| **कुल (B)** | **122.69** | **122.69** |
| **B-A** | - | - |

**नोट क्र - 26**

**कर्मचारी लाभ व्यय** (लाख रु. में)

| विवरण | 01-04-2024 से 31-03-2025 | 01-04-2023 से 31-03-2024 |
|---|---|---|
| वेतन, मज़दूरी, बोनस, भत्ते और अन्य लाभ | 72.68 | 66.41 |
| ग्रेच्युटी फंड में योगदान | 2.27 | 3.26 |
| छुट्टी का नकदीकरण | 18.22 | 5.85 |
| भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान | 16.24 | 15.19 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 2.13 | 1.40 |
| चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 2.21 | 1.91 |
| **कुल** | **113.75** | **94.02** |

**नोट क्र - 27**

**निर्माण, प्रशासनिक, बिक्री और वितरण के अन्य व्यय** (लाख रु. में)

| विवरण | 01-04-2024 से 31-03-2025 | 01-04-2023 से 31-03-2024 |
|---|---|---|
| बिजली एवं ईंधन | 62.06 | 74.66 |
| **मरम्मत एवं रखरखाव** | 91.39 | 77.99 |
| शुल्क, दरें और कर | 39.53 | 27.40 |
| सीएसआर व्यय / दान | 43.80 | 40.57 |
| कार्यालय बिजली | 0.54 | 0.80 |
| बीमा | 0.27 | 0.30 |
| **लेखापरीक्षकों को भुगतान** | 3.10 | 2.80 |
| **विविध व्यय** | 274.13 | 301.82 |
| **कुल** | **514.82** | **526.34** |

**लेखापरीक्षकों को भुगतान**

| | | |
|---|---|---|
| लेखापरीक्षा शुल्क | 2.30 | 2.00 |
| कर लेखापरीक्षा शुल्क | 0.80 | 0.80 |
| **कुल** | **3.10** | **2.80** |

**नोट क्र - 28**

**कर व्यय** (लाख रु. में)

| विवरण | 01-04-2024 से 31-03-2025 | 01-04-2023 से 31-03-2024 |
|---|---|---|
| क) चालू कर | | |
| चालू वर्षों के लिए | 641.15 | 602.00 |
| पिछले वर्षों के लिए | - | (105.76) |
| कुल - **A** | 641.15 | 496.24 |
| ख) आस्थगित कर | | |
| चालू वर्षों के लिए | 2.61 | (1.36) |
| पिछले वर्षों के लिए | - | - |
| कुल - **B** | 2.61 | (1.36) |
| कुल **A+B** | 643.76 | 494.88 |
| **वर्ष का लाभ** | **1,902.88** | **1,831.04** |

**नोट क्र - 29**

**प्रति शेयर आय**

(लाख रु. में)

| विवरण | 01-04-2024 से 31-03-2025 | 01-04-2023 से 31-03-2024 |
|---|---|---|
| इक्विटी शेयरधारकों के कारण हुआ लाभ/(हानि) | 1,902.88 | 1,831.05 |
| इक्विटी अंशों की भारित औसत संख्या (संख्या में) | 13.34 | 13.34 |
| प्रति रु. 1000 के अंश पर मूल एवं विरलीकृत आय | 142.64 | 137.31 |

**प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।प्रति अंश विरलीकृत आय को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण हुए शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिसे प्रति इक्विटी शेयर की मूल कमाई के लिए मान्य किया जाता है और साथ ही ऐसे इक्विटी शेयरों जिन्हें पूर्ण विरलीकृत संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किया जा सकता हो की भारित औसत संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है।**

# वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

**30.** रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 15 मार्च, 1973 को एक सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी ने 15 मार्च, 1973 को रिचर्डसन एंड क्रुडास लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1972 नामक संसद के एक अधिनियम के माध्यम से रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड के नाम पर रिचर्डसन और क्रुडास लिमिटेड की संपत्ति और देनदारियों को अपने कब्जे में ले लिया।

(₹. लाख में)

| | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|
| **A. आकस्मिक देनदारियों के संबंध में** | | |
| a. कंपनी द्वारा विवादित बिक्री कर प्राधिकारियों की मांगें जो अपील के अधीन हैं | 173.68 | 173.68 |
| b. कंपनी द्वारा विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की मांगें जो अपील के अधीन हैं | 101.08 | 101.08 |
| c. कंपनी द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों से विवादित मांगें जो अपील के अधीन है | 285.00 | 285.00 |
| d. कंपनी द्वारा विवादित भविष्य निधि प्राधिकारियों की मांगें | 152.37 | 152.37 |
| e. कंपनी द्वारा आयकर अधिकारियों से विवादित मांगें जो अपील के अधीन है | 2.49 | 2.49 |
| f. कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (1,787.62 लाख रुपये के प्रमुख दावे नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं) | 3423.65 | 3,377.83 |
| **कुल** | 4138.27 | 4,092.45 |

प्रमुख दावों का विवरण इस प्रकार है:-

| पार्टी का नाम | कारण | राशि (रु. लाख में) |
|---|---|---|
| किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक. कं.. | विलंबित डिलीवरी/प्रदर्शन (पार्टी से मांग पत्र प्राप्त हुआ) | 150.00 |
| सेंट्रल रेलवे | रेलवे, साइडिंग भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क (पार्टी से मांग पत्र प्राप्त हुआ) | 297.68 |
| मुंबई कलेक्टर | पट्टा किराया (कुल रु. 120.00 लाख अग्रिम भुगतान) (पार्टी से मांग पत्र प्राप्त हुआ)) | 872.30 |
| कैथल शुगर मिल्स लिमिटेड, हरियाणा | 2500 टीसीडी चीनी संयंत्र की स्थापना हेतु। (मामला हाई कोर्ट में) | 250.00 |
| एसबीआई - कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट | बांड पर अतिदेय ब्याज भुगतान (प्रावधान से कम - रु. 45.58 लाख) (पार्टी से मांग पत्र प्राप्त हुआ) | 217.64 |
| | **Total** | **1,787.62** |

नोट- इन आकस्मिक देनदारियों में दावे(दावों)/मांग(मांगों) पर देय ब्याज और जुर्माना, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

**31. स्टैंडअलोन IND AS वित्तीय विवरण 'चालू व्यवसाय की अवधारणा' के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी की आय का प्राथमिक स्रोत एमओए और एओए के अनुसार विभिन्न आयोजनों, समारोहों, बैठकों आदि के लिए परिसर को किराये पर देने से उत्पन्न किराये की आय है।**

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के पास बैंक, नकदी और नकद समतुल्य 29,803.06 लाख रुपये (पिछले वर्ष 28,304.54 लाख रुपये) थे। कंपनी अपने व्यवसाय संचालन को प्रबंधित करने में सफल रही है। साथ ही, निदेशक मंडल का मानना है कि खातों को चालू व्यवसाय अवधारणा के आधार पर तैयार किया जाना उचित है।

**32. प्रदत्त के संबंध में, 8% वरीयता शेयर पूंजी रु. 2,326 लाख है(पिछले वर्ष 2,326 लाख रूपये) 1992-93 के दौरान जारी किए गए इन वरीयता शेयरों को जारी करने और प्रतिदेयता के नियम और शर्तों को कंपनी द्वारा एकमात्र प्राथमिक शेयरधारक - भारत सरकार (जीओआई) के साथ अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, बुनियादी ढांचा परियोजना स्थापित करने में लगी कंपनी 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए शेयर जारी कर सकती है।**

वरीयता शेयरों के मोचन के लिए भारत सरकार के साथ नियमों और शर्तों को अंतिम रूप न देने के कारण कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 और उस पर बनाए गए नियमों के अनुसार वरीयता शेयर मोचन रिजर्व खाता बनाने के लिए सक्षम नहीं है। इसके अलावा, आवश्यक जानकारी के अभाव में, पिछले प्रकटीकरण के अनुसार इन वरीयता शेयरों पर लाभांश की दर गैर-संचयी आधार पर 8% प्रति वर्ष मानी गई है।

**33. कंपनी की स्वामित्व वाली और पट्टा आधारित संपत्तियों के संदर्भ में:**

कंपनी के पास मुलुंड में 36.88 एकड़ भूमि है, जिसमें 23.38 एकड़ एकल स्वामित्व वाली भूमि और 13.50 एकड़ पट्टाआधारित भूमि शामिल है। स्वामित्व भूमि में से लगभग 7.18 एकड़ भूमि पर ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा और लगभग 3 एकड़ भूमि पर झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो कुल मिलाकर 10.18 एकड़ है।

अतिक्रमण खाली कराने के लिए पहले भी कई बार एमसीजीएम (MCGM) से संपर्क किया गया था। एमसीजीएम ने 13 अगस्त, 2008 के पत्र के माध्यम से अपने "समूह नेता बैठक" के निर्णय के नतीजे से अवगत कराया कि वे अपने कब्जे वाली भूमि को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि महाराष्ट्र सरकार सहमत होती है, तो उनके कब्जे वाली जमीन का स्वीकार्य एफएसआई (विकास अधिकार का हस्तांतरण- टीडीआर) कंपनी को दिया जा सकता है।

3 सितंबर, 2009 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान, भारी उद्योग विभाग के सचिव ने कहा कि एमसीजीएम और झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि राज्य सरकार के दायरे में आती है और इसलिए कंपनी को अतिक्रमण के तहत कुल भूमि के लिए स्वीकार्य एफएसआई/टीडीआर देने पर विचार करने का सुझाव दिया गया।

महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की और कहा कि 10.18 एकड़ भूमि के लिए स्वीकार्य एफएसआई/टीडीआर देने पर विचार करने के मामले को शहरी विकास और आवास विभाग के समक्ष उठाया जाएगा। इस बीच, कंपनी ने अतिक्रमण के तहत कुल भूमि के लिए कंपनी को स्वीकार्य टीडीआर/एफएसआई देने के लिए आयुक्त, एमसीजीएम, मुंबई को पत्र आर एंड सी/सीएमडी/एमसीजीएम/09-10 दिनांक 19 जनवरी 2010 के माध्यम से औपचारिक अनुरोध दिया है। तब से इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

कंपनी के मुलुंड वर्क्स की अचल संपत्तियों में 54,632.56 वर्ग मीटर की पट्टा आधारित भूमि शामिल है। पट्टा एक विशिष्ट अवधि और मुद्रा के दौरान था। पट्टे के समय कंपनी के पास 'प्रत्यावर्तनीय अधिकार' खरीदने का विकल्प था, जिसका कंपनी ने निर्धारित समय में उपयोग किया और संपत्ति के आधे हिस्से का हस्तांतरण पूरा कर लिया, जो अन्य दो पट्टादाताओं के नाम पर था। हालाँकि, पट्टे की संपत्ति का अन्य आधा हिस्सा पट्टादाताओं द्वारा लगाए गए विभिन्न शुल्कों, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पक्ष सृजित शुल्क भी शामिल हैं, से भारग्रस्त था, जिससे कंपनी द्वारा खरीद प्रक्रिया को बाधित किया। इसके बाद, पट्टेदारों और अन्य लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों ने जानबूझकर बिक्री की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए संपत्ति को गलत तरीके से तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया। कंपनी ने बंबई उच्च न्यायालय में पट्टेदारों और अन्य के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन संख्या 3572/2006 के लिए मुकदमा दायर किया है और मामला विधि समक्ष है।

स्वामित्व वाली और पट्टादार संपत्तियों के स्वामित्व के मूल दस्तावेज कंपनी के पास उपलब्ध हैं सिवाय :-

**घाटकोपर में 20 फ्लैट, हालांकि कंपनी को अविनाश हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति से घाटकोपर फ्लैट्स से संबंधित शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। प्रबंधन ने रजिस्ट्रार कार्यालय, मुंबई से घाटकोपर फ्लैट्स से संबंधित 18 सितंबर, 1982 के बिक्री समझौते के संशोधन और पुष्टिकरण विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त कर ली है।**

मुलुंड में फ्लैट (शेयर प्रमाणपत्र की केवल पक्की नकल )

नागपुर टीटीएस (केवल संपत्ति के कागजात की फोटोकॉपी उपलब्ध है)

नागपुर में जी/12/2 पर संपत्ति (केवल संपत्ति के कागजात की प्रमाणित सत्य प्रति)

कंपनी का भायखला वर्क्स 13.41 ऐकर की पट्टादार भूमि पर स्थित है, जो वर्तमान में मुंबई कलेक्टर की है। पट्टे की अवधि 1974 से 2003 के बीच समाप्त हो गई है। मुंबई के कलेक्टर पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि के संबंध में अपनी नीति को संशोधित करने और समाप्त हो चुके पट्टों के

नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं। मुंबई के कलेक्टर ने 992.30 लाख रुपये की मांग की है, जिस पर कंपनी ने विवाद किया है। हालाँकि, अंतिम निर्णय लंबित होने तक, कंपनी ने मुंबई के कलेक्टर के पास 120 लाख रुपये जमा कर दिए थे, जिसे 'दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम' के तहत समूहीकृत किया गया है और इसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। शेष राशि को आकस्मिक देनदारी के अंतर्गत दर्शाया गया है। इस बीच, कलेक्टर, मुंबई ने निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनने के लिए 8 जुलाई 2013 को एक पत्र भेजा:

i). पट्टा आधारित भूमि को कब्जे के अधिकार द्वारा अधिभोगी वर्ग-2 में परिवर्तित करना

ii). पट्टे का जनवरी 1, 2012 से लेकर 30 वर्ष तक प्रति 5 वर्ष में रेडी रेकनर के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर किराये में संशोधन के साथ नवीनीकरण शामिल है।

कंपनी ने उपरोक्त भूमि को अधिभोगी वर्ग-2 में परिवर्तित करने के लिए एक विकल्प का प्रयोग किया। कंपनी का आवेदन खारिज कर दिया गया है। 7 अक्टूबर, 2016 के उनके पत्र के अनुसार भायखला की भूमि कलेक्टर द्वारा कुर्क की जा रही है। कुर्की के आदेश के खिलाफ, कंपनी ने रिट याचिका (2017 की संख्या 633) दायर की है और मामला वर्तमान में विचाराधीन है।

एमसीजीएम ने संपत्ति कर के संबंध में कंपनी से कोई मांग नहीं की। उक्त प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसका हिसाब दिया जाएगा।

कंपनी के पास भायखला और मुलुंड वर्क्स में पट्टे पर दिए गए परिसरों पर अचल संपत्तियां हैं। प्लांट और मशीनरी के संबंध में पिछले वर्षों में किए गए परिशोधन का शुद्ध प्रावधान रु. 4.78 लाख है। परिसर का पट्टा समाप्त हो गया है और इसके संबंध में कंपनी की मुकदमेबाजी/वार्ता का अंतिम परिणाम लंबित है, पट्टे पर दिए गए परिसर में अचल संपत्तियों पर कोई हानि का आकलन नहीं किया गया है और इन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी की नीति के अनुसार प्रदान किया गया है। कंपनी की राय में, जुलाई 2013 की स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, चूंकि परिसंपत्तियों का मूल्य वहन मूल्य से अधिक है, इसलिए कोई और हानि आवश्यक नहीं समझी जाती है।

**34.** a. **पार्टियों को/से देय शेष (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, जमा, वैधानिक बकाया, ऋण और अग्रिम और टीडीएस प्राप्य सहित) पार्टियों से पुष्टि और समाधान, यदि कोई हो, के अधीन हैं। सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्य दावों में रिफंड और राशियाँ शामिल हैं जो लागू ऑडिट, मूल्यांकन या मूल्यांकन के आधार पर भविष्य के समायोजन के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।**

उन डेबिट शेषों के लिए प्रावधान किया गया है जिनकी पिछले अभ्यास के अनुरूप वसूली संदिग्ध मानी जाती है। प्रबंधन की राय में पुराने विविध लेनदारों और अन्य देनदारियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है।

उन डेबिट शेषों के लिए प्रावधान किया गया है जिनकी पिछले अभ्यास के अनुरूप वसूली संदिग्ध मानी जाती है। प्रबंधन की राय में पुराने विविध लेनदारों और अन्य देनदारियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है।

b. कंपनी को एक बाहरी पक्ष से संपत्ति कर के रूप में 6.30 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान प्राप्त हुआ है। यह राशि स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा कंपनी के परिसर के पुनर्वर्गीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली अंतर संपत्ति कर देयता से संबंधित है।

पहले, कंपनी के परिसर को "औद्योगिक" वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। हालाँकि, संचालन की प्रकृति में बदलाव के बाद, वर्गीकरण को "वाणिज्यिक" में संशोधित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा संपत्ति कर का मूल्यांकन बढ़ा दिया गया है।

**35.** वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक चेन्नई इकाई में कोई स्टॉक/इनवेंटरी और प्लांट और मशीनरी नहीं है। जनशक्ति की भारी कमी के कारण वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नागपुर, मुलुंड और भायखला इकाइयों की संपत्ति और सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। यदि आवश्यक हुआ तो आवश्यक समायोजन तब किया जाएगा जब खातों की समीक्षा, समाधान और निपटान किया जाएगा। वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, वर्ष के दौरान नागपुर इकाई के संयंत्र और मशीनरी और इनवेंटरी का मूल्यांकन सरकार द्वारा अनुमोदित पंजीकृत मूल्यांकक के माध्यम से पूरा किया गया है। कंपनी के संयंत्र और मशीनरी बहुत पुरानी हैं और उपयोग योग्य स्थिति में नहीं हैं, और इसे बिक्री के बाद शुद्ध वसूली योग्य मूल्य माना जाएगा। इनवेंटरी का खुलासा लागत पर किया गया है।

**36. विदेशी मुद्रा लेनदेन का विवरण**

**(₹. लाख में)**

| | **विवरण** | **मार्च, 2025** | **मार्च, 2024** |
|---|---|---|---|
| a) | विदेशी मुद्रा में आय | - | - |
| b) | विदेशी मुद्रा में व्यय | - | - |

वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं हुआ।

**37. कुल आपूर्तिकर्ताओं में से, कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के संबंध में बहुत कम आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध है और इसलिए:**

a. लेखांकन वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर बकाया ब्याज के भुगतान;
b. वर्ष के दौरान किए गए ब्याज के भुगतान;
c. लेखांकन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;
d. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज;
e. लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक ब्याज; और
f. आगे के वर्षों में भी देय और देय ब्याज शेष , जब तक कि ऐसी तारीख नहीं दी जाती जब तक कि उपरोक्त बकाया ब्याज वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान किया जाए, के बारे में प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं।

कंपनी ने केवल उन्हीं पार्टियों को लघु और मध्यम उद्यम के रूप में मान्यता दी है जिन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जमा किया है।

**38. कर्मचारी लाभ:**

I. **अल्पावधि कर्मचारी लाभ:** सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वेतन, पारिश्रमिक, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति आदि जैसे लाभ, और बोनस की अपेक्षित लागत, अनुग्रह राशि उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

II. **दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**

**(₹. लाख में)**

| विवरण | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| भविष्य निधि और अन्य निधि | 16.24 | 15.19 |
| कुल | **16.24** | **15.19** |

a.) ग्रेच्युटी योजना का विवरण इस प्रकार है:

बैलेंस शीट में पहचानी गई राशि

**(₹. लाख में)**

| विवरण | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 28.12 | 25.85 |
| बैलेंस शीट में मान्य और प्रावधानों में शामिल शुद्ध देयता | 28.12 | 25.85 |

b.) लाभ लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

**(₹. लाख में)**

| विवरण | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| वर्तमान सेवा लागत | 1.62 | 1.48 |
| परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज | 1.86 | 1.65 |
| वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानियाँ/(लाभ)। | -1.21 | 0.13 |
| कर्मचारी व्यय में शामिल कुल | 2.27 | 3.26 |

C.) अवधि के लिए लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों का समाधान

**(₹. लाख में)**

| विवरण | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| प्रारम्भिक परिभाषित लाभ दायित्व | 25.85 | 22.58 |
| वर्तमान सेवा लागत | 1.62 | 1.48 |
| ब्याज लागत | 1.86 | 1.65 |
| बीमांकिक हानि/(लाभ) | (1.21) | 0.13 |
| पिछली सेवा लागत | 0.00 | 0.00 |
| लाभ का भुगतान किया गया | 0.00 | 0.00 |
| परिभाषित लाभ दायित्व को बंद करना | 28.12 | 25.85 |

d.) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

| | | |
|---|---|---|
| रियायती दर (प्रति वर्ष) | 6.60% | 7.19% |
| वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष) | 7.50% | 7.50% |
| सेवानिवृत्ति की उम्र | 60 साल | 58 साल |
| मृत्यु दर | इंडियन एश्योर्ड लाइव्स (2012-14) अंतिम मृत्यु दर | इंडियन एश्योर्ड लाइव्स (2012-14) अंतिम मृत्यु दर |
| निकासी दर | 1% | 1% |

**39.** Ind AS 24 के अनुसार प्रकटीकरण - संबंधित **पक्ष**

संबंधित पक्षों की सूची:-

प्रबंधन के मुख्य व्यक्ति (KMP)

| क्र. | संबंधित पक्ष का नाम | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती जूली श्रीवास्तव (8 मई 2024 तक) | सीएमडी |
| 2 | श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव (9 मई 2024 से) | सीएमडी |
| 3 | श्री संजय कुमार ओझा | सीएफओ और सीएस |

संबंधित पक्षों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन:-

**(₹. लाख में)**

| क्र. | केएमपी का नाम | पद | लेनदेन की प्रकृति | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | श्रीमती जूली श्रीवास्तव | सीएमडी | **पारिश्रमिक** | **शून्य** | **शून्य** |
| **2** | श्री संजय कुमार ओझा | सीएफओ और सीएस | **पारिश्रमिक** | **27.13** | **20.25** |

**40.** DHI डीएचआई द्वारा पत्र क्रमांक. 4(6)/2005-पीई.IV दिनांक 06.10.2016 ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21.09.2016 को हुई अपनी बैठक में दिनांक 09.09.2016 के कैबिनेट नोट पर विचार किया और रणनीतिक विनिवेश के लिए चेन्नई और नागपुर में इकाइयों की पेशकश करने को नीति आयोग और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

तदनुसार, प्रबंधन ने अपने पत्र दिनांक 12.02.2018 के माध्यम से डीएचआई से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या:

1. **नागपुर और चेन्नई इकाइयों को रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया के माध्यम से बिक्री के लिए पेश किया जाना है जैसा कि DIPAM दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है या**

2. **इकाइयों को भूमि सहित चल और अचल संपत्तियों की बिक्री/निपटान द्वारा अलग किया जाना है।**

इसके अलावा, DIPAM ने पत्र संख्या 4/15/2016-DIPAM-I दिनांक 14-09-2018 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि चेन्नई इकाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन इकाई की रणनीतिक बिक्री के बजाय एकमुश्त बिक्री कर सकती है।

**41.** नैगमिक सामाजिक दायित्व के प्रति व्यय का प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए 43.79 लाख रुपये आवंटित किए हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए 40.57 लाख रुपये आवंटित किए।

चल रही परियोजनाओं के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: -

**(₹. लाख में)**

| प्रारम्भिक जमा | वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि | अंतिम जमा |
|---|---|---|---|
| 67.54 | 43.79 | 54.31 | 57.02 |

**42.** अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं। (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं)।

**(₹. लाख में)**

| बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम | संपत्ति की वस्तु का विवरण | सकल वहन मूल्य | अचल संपत्ति का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है | क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर का रिश्तेदार है, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है | कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण/अन्य टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पट्टे पर दी गई भूमि एवं भवन | भायखला | 526.03 | हाँ | नहीं | 19-06-1911 | संपत्ति का पट्टा 1974 से 2003 के बीच समाप्त हो गया है, संपत्ति कलेक्टर, मुंबई द्वारा कुर्क की गई। उनके दिनांक 07.10.2016 के पत्र द्वारा मामला पहले से ही माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई में विचाराधीन है। |
| पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि | मुलुंड | 396.49 | हाँ | नहीं | 02-08-1975 | मूल दस्तावेज़ न्यायालय रिसीवर के पास हैं; मुकदमा चल रहा है। |
| पट्टे की भूमि | मुलुंड में पट्टे पर दी गई भूमि | 18.50 | हाँ (आंशिक) | नहीं | 27-04-1974 | आंशिक हस्तांतरण विलेख (6.75 ऐकर) उपलब्ध है; शेष क्षेत्र मुकदमे के अधीन है। |
| भवन | अविनाश सीएचएसएल में फ्लैट, अमृत नगर, घाटकोपर (डब्ल्यू), मुंबई | 0.01 | हाँ | नहीं | 16-09-1982 | मूल स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं हैं; प्रमाणित सत्य प्रतियाँ कंपनी के पास हैं। |
| पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि | टीटीएस पर फ्रीहोल्ड भूमि वानाडोंगरी, नागपुर | 0.65 | हाँ | नहीं | 01-03-1984 | कंपनी के नाम के स्वामित्व विलेखों की केवल एक फोटोकॉपी उपलब्ध है। |
| पट्टे की भूमि | एमआईडीसी हिंगना नागपुर, फैक्ट्री | 0.99 | हाँ | नहीं | 19-11-1982 | एमआईडीसी से पट्टा; अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का अनुरोध: एमआईडीसी ने समर्पण हेतु अनुरोध किया; मामला विवादग्रस्त है। प्रमाणित पट्टा विलेख प्रति उपलब्ध है। |

**43.** अनुपात

| अनुपात | वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए | वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए | परिवर्तन | कारण |
|---|---|---|---|---|
| वर्तमान अनुपात | 80.48 | 54.54 | 25.94 | चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण |
| ऋण इक्विटी अनुपात | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| कर्ज सेवा कवरेज अनुपात | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| इक्विटी अनुपात पर वापस | 6.94% | 7.18% | 0.24% | कुल आय में वृद्धि और खर्चों में कमी के कारण |
| इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात | 0.00 | 0.00 | 0.00 | इन्वेंट्री में कोई बदलाव नहीं होने के कारण |
| व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात | 6.97 | 5.86 | 1.11 | |
| व्यापार देय टर्नओवर अनुपात | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात | 3.07% | 3.60% | -0.53% | परिचालन आय में कमी के कारण। |
| शुद्ध लाभ अनुपात | 58.50% | 59.90% | -1.40% | |
| नियोजित पूंजी पर रिटर्न | 4.30% | 3.93% | 0.37% | कुल आय में वृद्धि के कारण |
| निवेश पर प्रतिफल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

**44.** कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है। इस प्रकार, नीचे दिया गया विवरण शून्य होगा

क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी से जुड़े लेनदेन पर लाभ या हानि,
रिपोर्टिंग तिथि पर धारित मुद्रा की राशि,
क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जमा या अग्रिम।

**45.** कंपनी के पास भारतीय स्टेट बैंक, DIGBOI, असम में बैंक खाते का शेष पुष्टि प्रमाणपत्र नहीं है। जैसा कि खाते की पुस्तकों में 0.20 लाख रुपये का शेष दिखाया जा रहा है।

**46.** चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

**47.** कंपनी को एसबीआई, चेन्नई में रखी गई कुछ पुरानी सावधि जमाओं पर ब्याज मिलता है। ब्याज आय सीधे कंपनी के बैंक खाते में जमा कर दी गई है और संबंधित टीडीएस फॉर्म 26AS में दर्शाया गया है। इस संबंध में, कंपनी ने दिनांक 12.05.2025 के पत्र के माध्यम से एसबीआई को एक पत्र लिखा है। हालाँकि, कंपनी बैंक से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है।

इन सावधि जमाओं का मूल मूल्य - ₹9,41,633

तदनुसार, कंपनी ने वर्तमान वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को मान्यता दी है:

अर्जित ब्याज: ₹47,403 और प्राप्य टीडीएस: ₹5,888

**48. वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी चेन्नई इकाई के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए टीडीएस बकाया से संबंधित 24,44,060 रुपये की देनदारी को बट्टे खाते में डाल दिया है। यह देनदारी वर्षों तक अवैतनिक रही और बहीखातों में आगे बढ़ा दी गई। हालाँकि, सभी देनदारियों का भुगतान कर दिया गया है और इसके विरुद्ध कोई मांग नहीं है।**

समय बीतने, अभिलेखों के अभाव और देनदारी की प्रवर्तनीयता को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए, प्रबंधन इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि यह देनदारी अब संभावित नहीं है और तदनुसार, देनदारी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

**50. पिछले वर्ष से संबंधित भविष्य निधि (पीएफ) की कमी से संबंधित पुस्तकों में 17,00,253 रुपये की देनदारी मौजूद थी। हालाँकि, इस देनदारी के लिए कोई विशिष्ट दस्तावेज या विस्तृत स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं था। इसलिए राशि का पता नहीं लगाया जा सका, इसलिए इसे पुस्तकों से हटा दिया गया है। हालाँकि, सभी देनदारियों का भुगतान कर दिया गया है, और इसके विरुद्ध कोई माँग नहीं है।**

यह देखते हुए कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त देनदारी को बट्टे खाते में डाल दिया है। यह बट्टे खाते में डालने का कार्य 15 फरवरी 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को किए गए 40.11 लाख रुपये के पूर्व समायोजित भुगतान के विरुद्ध किया गया है।

चूँकि देनदारी वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहले ही व्यय कर दी गई थी, इसलिए 17,00,253 रुपये के प्रत्यावर्तन को वित्त वर्ष 2024-25 में अन्य आय के रूप में मान्यता दी गई है ताकि पहले किए गए अतिरिक्त प्रावधान में सुधार को उचित रूप से दर्शाया जा सके।

**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और नोट्स जो स्टैंडअलोन IND AS वित्तीय विवरण 1-29 का हिस्सा हैं।**

संलग्न की गई सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**जी.पी. कपाड़िया एंड कंपनी के लिए**
**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण संख्या 104768W**
**हस्ता/-**
**सीए अतुल बी देसाई**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या 30850**

**स्थान: मुंबई**
**दिनांक: 30 जून 2025**
**यूडीआईएन : 25030850BMGXYW8711**

**कृते और निदेशक मंडल की ओर से**

**हस्ता/-**
**श्री नरेश कुमार**
**निदेशक**
**डीआईएन: 10043608**

**हस्ता/-**
**श्री नीरज शंकर श्रीवास्तव**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**DIN : 10687234**

**हस्ता/-**
**श्री संजय कुमार ओझा**
**सीएफओ एवं सीएस**
**स्थान: मुंबई**

## दस साल का डाइजेस्ट

(₹. लाख में)

| क्रमांक | विवरण | 2024-2025 | 2023-2024 (IND AS) | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | उत्पादन का मूल्य | 843.05 | 926.64 | 225.58 | 299.36 | 670.20 | 870.36 | 1,261.82 | 1,699.95 | 2,075.67 | 2,021.90 |
| 2 | सकल बिक्री | 3252.84 | 3056.94 | 2,911.48 | 3,251.75 | 3,424.05 | 4,095.41 | 4,220.54 | 4,581.35 | 4,649.50 | 5,009.62 |
| 3 | बिक्री की लागत | 50.58 | 82.02 | 201.82 | 266.03 | 583.22 | 768.65 | 1,179.59 | 1,619.33 | 1,822.66 | 1,732.41 |
| 4 | ब्याज और मूल्यहास से पहले सकल लाभ/(हानि) | 2573.69 | 2354.56 | 1,730.29 | 2,578.66 | 1,879.42 | 2,446.45 | 2,418.34 | 1,685.29 | 1,596.97 | 2,184.69 |
| 5 | मूल्यहास | 27.05 | 28.64 | 30.89 | 34.17 | 37.44 | 39.65 | 40.2 | 39.49 | 77.73 | 80.74 |
| 6 | ब्याज से पहले सकल लाभ/(हानि) | 2546.64 | 2325.92 | 1,699.40 | 2544.49 | 1841.98 | 2,406.80 | 2378.14 | 1,645.80 | 1,519.24 | 2,103.95 |
| 7 | ब्याज | | | | | | | | | | |
| | a ) सरकार | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,110.49 |
| | b ) अन्य | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | कर पूर्व लाभ | 2546.64 | 2325.92 | 1,699.40 | 2,544.49 | 1,841.98 | 2,406.80 | 2,378.14 | 1,645.80 | 1,519.24 | -1,006.54 |
| 9 | कर हेतु प्रावधान | 643.76 | 494.88 | 426.95 | 609.83 | 501.16 | -539.86 | 84.44 | - | 24.80 | - |
| 10 | कर के बाद लाभ | 1902.88 | 1831.04 | 1,272.45 | 1,934.66 | 1,340.82 | 2,946.66 | 2,293.70 | 1,645.80 | 1,494.44 | -1,006.54 |
| 11 | सकल ब्लॉक | 716.16 | 706.67 | 2,708.45 | 2,702.75 | 2,927.47 | 2,927.14 | 2,861.82 | 2,856.40 | 2,711.11 | 2,534.63 |
| 12 | शुद्ध ब्लॉक | 629.54 | 647.1 | 675.45 | 700.64 | 736.91 | 774.04 | 752.62 | 787.40 | 665.06 | 516.22 |
| 13 | कार्यशील पूंजी | 30614.06 | 28937.00 | 25,546.39 | 24,177.13 | 22022.39 | 17584.93 | -34,162.80 | -30,687.01 | -36,631.28 | 12,047.62 |
| 14 | दीर्घकालिक ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,658.68 |
| 15 | अल्पावधि ऋण (नकद ऋण सहित) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | शेयर पूंजी | 15661.05 | 15661.05 | 15,661.05 | 15,661.05 | 15,661.05 | 15,661.05 | 15,661.05 | 15,661.05 | 15,661.05 | 5,483.53 |
| 17 | रिज़र्व | 14076.7 | 12173.82 | 10,342.83 | 9,070.38 | 43,478.39 | 43,478.39 | - | - | - | - |
| 18 | व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन | 29866 | 27871.35 | 26,221.84 | 24,877.76 | 22,759.30 | 18,358.97 | -33,410.18 | -29,899.61 | -35,966.22 | 12,563.84 |
| 19 | निवल मूल्य | 29737.75 | 27834.87 | 26,003.88 | 24,731.43 | 22,796.76 | 21,455.94 | -24,969.10 | -27,262.79 | -28,908.59 | -40,580.55 |
| 20 | संचयी हानि | - | - | - | - | -36,342.68 | -37,683.50 | -40,630.15 | -42,923.84 | -44,569.64 | -46,064.08 |
| 21 | वेतन, मज़दूरी और कर्मचारी लाभ | 113.75 | 94.02 | 94.30 | 100.62 | 156.62 | 292.38 | 158.25 | 122.95 | 153.25 | 118.49 |
| 24 | राजकोष में योगदान | 643.76 | 494.88 | 426.95 | 609.83 | 501.16 | -539.86 | 84.44 | 13.71 | 100.32 | 28.64 |
| 25 | कर्मचारियों की संख्या | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 16 |
| 26 | बिक्री के लिए वेतन एवं पारिश्रमिक | 28.60 | 32.51 | 30.87 | 32.32 | 21.86 | 14.01 | 26.67 | 37.26 | 30.34 | 42.28 |
| 27 | विविध देनदारों को टर्नओवर के दिनों की संख्या | 3 | 14 | 25 | 85 | 64 | 66 | 68 | 83 | 116 | 150 |
| | | | | | | | | | | | |

# रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड

## (भारत सरकार का एक उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: भायखला इकाई भायखला आयरन वर्क्स, सर जेजे रोड भायखला, मुंबई - 400 008

टेलीफोन : 022 23794005 / 23794006

फैक्स : 022 23794003

ई-मेल : richardsoncruddas@yahoo.co.in

वेबसाइट : www.rnc72.com

मुलुंड इकाई : शाखा कार्यालय एवं कार्य लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई - 400 080.

नागपुर इकाई : शाखा कार्यालय एवं कार्य एफ-3, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, हिंगना रोड, नागपुर - 440 016.

चेन्नई इकाई : शाखा कार्यालय और कार्य नंबर 69-डी, सिडको, इंडस्ट्रियल एस्टेट, चेन्नई- 600 098